THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Gurudas Das Gupta, we have the constraint of itme. We have three statements after this.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Mr. Dandavate could tell us when his supplementary Budget is going to be. (*Interruptions*)...

PROF. MADHU DANDAVATE: Madam, with due respect to our former Finance Minister, I would say that I do not want to misguide the House or mislead him. What to talk of misleading, he is incapable of being misled on this. He has a firm knowledge about this.

As far as the graph is concerned, the deficit goes on fluctuating. Sometimes, it is maximum; then some sort of plateau, coming down; not always coming down and sometimes above or at the same level. I must make it very clear—he is also aware of it as a former Finance Minister—that at any point of time, whenever a deficit is there, there is always a time-lag. Therefore, even as the final position is important, the behaviour of that is also important. That is why I had to refer to 1st December. I had to start with that particular handicap. I must make it very clear that whether it is my Budget or the previous year's, from one particular value, from one particular amount, you cannot consider the picture as to what will happen as far as the final target is concerned. Perhaps, you were not here. This point was raised. If, for instance, on 30th June, the deficit has gone up to Rs. 7,400 crores, it is more than Rs. 7,206 crores. It will be still more. I only wanted to clarify that. Not beyond that.

As far as his second point is concerned, I hope Shankarraoji will take note of the fact that when we speak from the forum of Parliament, we do not address only to the consumers in our country. We have certain economic relations with other countries and if we paint such a picture, it will create problems in our trade relations with these countries. Therefore, it is better not to paint a picture that will create panic as far as our trade relations with other countries are concerned. Otherwise, I know what are the difficulties. I am not extracomplacement. But in view of our trade relations with other countries, I do not want to create an international panic. However, as far as the other constraints internal constraints, are concerned, I will take care of it. If others did not, probably, appreciate that, I take it for granted that the former Finance Minister will appreciate that point.

THE DEPUTY CHAIRMAN: This matter is over. We now take up the next item.

CLARIFICATIONS ON THE STATEMENT REGARDING IMPLEMENTATION OF MANDAL COMMISSION'S RECOMMENDATIONS

उप-सभापति : प्रमोद महाजन जी आप शुरु करें इससे पहले मैं यह कहना चाहती हूं कि कृपया अपना भाषण बहुत संक्षेप में करें । जो भी सवाल आपको पूछने हों, पूछियेगा । कृपया भाषण नहीं कीजियेगा । हो सकता है इसके ऊपर पूरी चर्चा हो तब आप लम्बा भाषण दें ।

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) : उप-सभापति महोदया, स्पष्टीकरण पूछने से पहले मैं इस वक्तव्य में एक छोटा सा सुधार चाहूंगा । उत्तर भारत में भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम का उल्लेख गलत प्रकार से होता है । "बाबा साहब" यह अम्बेडकर जी की उपाधि नहीं थी जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ पंडित लगाया जाता है । यहां पर आपा साहब कुलकर्णी जी बैठे हैं । उनका नाम अरविन्द गणेश कुलकर्णी है । आपा साहब उनको घर में प्रेम से बुलाते हैं, हम सब बुलाते हैं । इसलिए डा० बाबा साहब अम्बेडकर कहा जाये या डा० भीमराव रामोजी राव अम्बेडकर कहा जाय । लेकिन अंग्रेजी में भीम और राव के लिए बी०आर० कहा जाता है और इसमें संयोग से उनके पिता जी का नाम भी जुड़ जाता है । लेकिन मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य का उल्लेख सभी अखबारों में हुआ है, इसलिए इसमें

[श्री प्रमोद महाजन]

सुधार किया जाय और महाराष्ट्र की पद्धति के अनुसार इसे डा० बाबा साहब अम्बेडकर कहा जाय या डा० भीमराव अम्बेडकर कहा जाय, यह स्पष्टीकरण के रूप में नहीं है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण वक्तव्य में ठीक ढंग से उल्लेख होना चाहिए । जिस पुरुष को हमने भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया है उसका नाम उचित ढंग से होना चाहिए ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री प्रमोद महाजन : प्रधान मंत्री का मंडल आयोग के संबंध का वक्तव्य एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वक्तव्य है । भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात कही थी । हमें संतोष है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने उनके तथा हमारे घोषणा पत्र में जो समानतायें हैं और थी उन पर क्रियान्वयन का प्रारम्भ किया हैं । इस पृष्ठभूमि में मैं प्रधान मंत्री से कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा ।

भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में जहां मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात कही है वहीं एक वाक्य और जोड़ दिया है कि इन वर्गों में भी गरीबों को प्राथमकिता दी जानी चाहिए । आरक्षण नीति में हमेशा एक कमी का अनुभव होता है जिसकी नहर बड़ी होती है, बांध का सर्वाधिक पानी उसे ही मिलता है । आरक्षण का लाभ आरक्षित जातियों में अधिक शिक्षित और अधिक सम्पन्न व्यक्तियों को होता है । पिछड़े पिछड़े ही रह जाते हैं । इस अनुभव को देखते हुए मैं प्रधान मंत्री जी से प्रथम स्पष्टीकरण यह चाहूंगा कि क्या मंडल आयोग के आरक्षण में आरक्षित जातियों में ही गरीबों को प्राथमिकता देने की कोई योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा मंडल आयोग की पिछड़ी जातियों के आरक्षण के पक्ष में है । इन सब को छोड़कर जो समाज का हिस्सा बचा है, उसमें भी गरीब वर्ग है और गरीबी पिछड़ेपन का महत्वपूर्ण कारण है । इसे देखते हुए अनुसूचित जाति, जन जाति, मंडल आयोग की जाति को आरक्षण कायम रखते हुए भी मेरा दूसरा स्पष्टीकरण यह होगा कि क्या प्रधानमंत्री जी अन्य बचे वर्गों के लिए कुछ आरक्षण का विचार करेंगे जो आवश्यक है ? मुझे इसमें उच्चतम न्यायालय की बाधा का कारण नहीं बताये । वह बाधा हटाई जा सकती है । पूर्ण बहस हो तो मैं तर्क दे सकता हूं । इस आरक्षण की समयावधि कितनी होगी इसका इस वक्तव्य में कहीं भी उल्लेख नहीं है । मैं तीसरा स्पष्टीकरण यह चाहूंगा कि इस आरक्षण की समयावधि क्या होगी ? अनुसूचित जाति और जन जातियों को संवैधानिक आरक्षण होते हुए भी उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हुआ है । इसके लिए हमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का निर्माण कर उसे संवैधानिक दर्जा देना पड़ा । इस अनुभव को देखते हुए मैं प्रधान मंत्री जी से चौथा स्पष्टीकरण यह चाहूंगा कि मंडल आयोग आरक्षण के क्रियान्वयन के संबंध में क्या कोई आयोग का निर्माण होगा । प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य में केवल उन्हीं जातियों को लिया गया है जो मंडल आयोग और राज्यों की सूचियों में समान हैं । कहा गया है कि यह प्रथम चरण है । मैं यह कहना चाहूंगा कि विभिन्न राज्यों में एक राज्य में एक जात पिछड़ी है । दूसरे राज्यों में वह नहीं है । गुजरात में वह पिछड़ा है और मुम्बई में अगर वह बसने का प्रयास करता है तो वह पिछड़ा नहीं माना जाता । मुझे लगता है कि यह न्याय का विरोध है, तर्कसंगत नहीं है । इसको देखते हुए मैं प्रधानमंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि इस योजना के दूसरे चरण के संबंध में सरकार की क्या योजना है जिसके कारण मण्डल आयोग में आने वाली सभी जातियों को हिन्दुस्तान में सभी तरह पूर्ण रूप से लाभ मिले । उपसभापति महोदया, मण्डल आयोग की रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों की दृष्टि से और कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं,

शिक्षा केन्द्र से ले कर भूमि सुधार तक बातें कही गई हैं । मैं प्रधानमंत्री जी से अन्तिम स्पष्टीकरण यही चाहूंगा कि यह जो मण्डल आयोग की सिफारिशें हैं जिसमें शिक्षा केन्द्र से ले कर भूमि सुधार तक बातें कही गई हैं उन पर आपकी सरकार क्या करने वाली है ? धन्यवाद ।

SHRI P. SHIV SHANKER: Madam Deputy Chairman, we welcome the announcement made by the Prime Minister notwithstanding the fact that it is highly insufficient, it is too late, it suffers from quite a bit of flaws...

PROF. MADHU DANDAVATE: Because we came too late.

SHRI P. SHIV SHANKER: To me it appears that it is hypocritical and politically motivated. In spite of that, I would welcome the announcement that has been made.

मौलाना अबदुल्ला खां आजमी : इसलिए कांग्रेस ने नहीं किया.... (व्यवधान)

उपसभापति : मैं मैम्बर्ज से गुज़ारिश करूंगी कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, शान्ति से सुनें ।

Don't interrup please.

SHRI P. SHIV SHANKER: Very rightly it has been said that we had not been able to implement the Mandal Commission Report. Well, I would not like to go into the reasons as to why we had not been able to implement it. Those reasons are very well known to the Prime Minister himself because after joining the Janata Dal, he is perhaps a changed man in the company of the socialists. I really admire that. That he has been able to develop the commitment at this stage is a matter of great satisfaction to me.

PROF. MADHU DANDAVATE: A man is known by the company he keeps.

SHRI P. SHIV SHANKER: He and I know each other exceedingly well.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Or is known by the company he lives in.

SHRI P. SHIV SHANKER: I would not like anyone to interrupt between me and the Prime Minister. We have been very old friends and we have known each other very well. We have known each other's commitment also exceedingly well. That is why I thought...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: You have a separate hot line.

SHRI P. SHIV SHANKER: We have at least developed an equal hot line in this case. That is why I am congratulating him.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: I am a witness to restlessness of Shiv Shanker on those issues.

SHRI P. SHIV SHANKER: Thank you very much.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Did you say "recklessness"?

SHRI P. SHIV SHANKER: I find that this announcement has been brought in in too great a hurry. I will go in details slightly. And it gives an impression that it still smacks of lack of a hundred per cent commitment to these unfortunate classes. The fact remains that reservation is the commitment of the Congress culture itself. It is in the Constitution—either in Art. 15(4) or Art. 16(4) or Art. 46 or Art. 340 and so on. When the Constitution was made, the great men who were brought up in that culture really drafted this Constitution (*Interruptions*).

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, will you allow these constant interruptions?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not allow any interruptions, including from both the sides.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: But at the moment, it is from that side.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Some other time it will be from the other side. I request all Members not to make any interruptions.

PROF. MADHU DANDAVATE: Madam don't interrup him—he is not he Finance Minister!

SHRI P. SHIV SHANKER: It is our political commitment out of which the Prime Minister has tried to take political mileage, and I again welcome him for this. I have no grudge for this political mileage that he has tried to take. As I said, it has been brought in too much of a hurry, with all flaws. I appreciate his difficulties also—I appreciate his difficulty about coming in a great hurry, because a lot of flaws are there which I am going to point out immediately. What else could he do? Devi Lal has his rally tomorrow. He has got to isolate him... (*Interruptions*)...

SHRI V. GOPALSAMY: Shiv Shankerji, are you going there?

SHRI P. SHIV SHANKER: And Kanshi Ram is supporting him. That is all the more reason why he should come in a hurry But, unfortunately the flaws remain. Still, I would like to welcome him. And I would also like to caution him. Having said this, I will straightway go to the clarifications.

I would like to caution him. He is aware of what happened in 1982 when Mr. Madhavsinh Solanki was the Chief Minister of Gujarat. He is also aware of what happened in 1985 when, again, Mr. Madhavsinh Solanki was the Chief Minister of Gujarat. He is also aware of what was sought to be done in 1985 when Mr. Arjun Singh was the Chief Minister of Madhya Pradesh and, also how, when a very harmless legislation of continuing reservations for the Scheduled Castes—the Constitution amendment—was brought in January, certain people were trying to create problems.

AN HONOURABLE MEMBER: Are you instigating?

SHRI P. SHIV SHANKER: I would like to caution him of friends sitting here, the Bharatiya Janata Party friends... (*Interruptions*)...It is wolf in sheep's clothing, theproblem which they have created... (*Interruptions*)...

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: It was really the Congress (I).

...(*Interruptions*)...

SHRI PRAMOD MAHAJAN: He is aware of the facts. He cannot make allegations like this.

SHRI P. SHIV SHANKER: I have heard you, Mr. Mahajan. What happened in Gujarat, I am personally aware—what your shadow had done. I had gone from city to city and saw what was done, how they tried to browbeat the weaker sections of the society...(*Interruptions*)..

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Atalji was there and there was a *gherao*. How can you say like this?

SHRI P. SHIV SHANKER: I will appreciate the stand of the left parties who do not believe in the backwards or the forwards but who believe in the class struggle; I appreciate that. Today it is crocodile tears that you are shedding. I was never surprised at your crocodile tears. And I have to say this for what had happened in 1985. I will join issue with you on this....(*Interruptions*)....

THE PRIME MINISTER (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): I will request Shiv Shankerji, the Leader of the Opposition here, that using any phrase like "Wolf in sheep's clothing' which hurts feelings, is something which is not proper o n his part to do ..(*Interruptions*)..

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think he is sufficiently capable of protecting himself. Please sit down; don't interrupt him.

श्री सीताराम केसरी : यह सिद्धांत की बात है किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है विश्वनाथ जी । जो उनकी नीति और पालिसी है और जो व्यवहार उनका रहता है उस संबंध में उन्होंने चर्चा की है ।(**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : गलती आपकी । आप ही हिंदुस्तान में आग लगाते रहे हैं ।...(**व्यवधान**) आप क्या बात कर रहे हैं ?...(**व्यवधान**)

PROF. MADHU DANDAVATE: Do you want clarification from the B.J.P. or from the Prime Minister?

SHRI P. SHIV SHANKER. They want to clarify. What can be done?

श्री सीताराम केसरी : क्लेरिफिकेशन की बात नहीं है । यह प्रकाश डाल रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं घटी हैं । यहां प्रधान मंत्री का क्लेरिफिकेशन कहां है ? . . . **(व्यवधान)**

इस घटनाचक्र में इनका योगदान रहता है, उस संबंध में ही चर्चा कर रहे हैं ।

श्री प्रमोद महाजन : जरा माधव सिंह जी को कहने दीजिए कि किसने उनकी योजना का विरोध किया था ? पूरी कांग्रेस खड़ी थी ।

SHRI P. SHIV SHANKER. I respect what has fallen from the Prime Minister because he is the Prime Minister of this country. But that does not mean that I should be shut out from stating certain facts which I have myself seen. (*Interruptions*).

I am prepared to face you (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN. Please sit down.

SHRI S. S. AHLUWALIA: You are not allowing me.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will allow what I want to. Take your seat. I say, "You please sit down". (*Interruptions*). Don't speak to me in this language. Sit down. Don't interrupt the House like this. (*Interruptions*) .I am telling them not to interrupt. Please sit down. Let him speak.

SHRI V. NARAYANASAMY: You don't want us to speak. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am asking them to take their seats. Sit down.

SHRI V. NARAYANASAMY: We should sit down. They should also sit down. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Sit down. (*Interruptions*).

SHRI V. NARAYANASAMY: No, Madam. They should also sit down. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : वह खड़े होकर ऐसी बात करते हैं ।

उपसभापति : आप चुप रहिए । . . . **(व्यवधान)**

It is a serious matter. We should discuss it with seriousness. I request all the Members. I am telling all the hon. Members. (*Interruptions*) Sit down. I say, 'Take your seat.' I am saying to all the Members. Sit down, all the Members. (*Interruptions*)

SHRI S. S. AHLUWALIA: Whenever I stand up, you say that nothing will go on record.

श्री विश्वजीत पृथ्वीजित सिंह : मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप मत बोलिए । इनको बोलने दीजिए ।

उपसभापति : शिव शंकर जी, आप बोलिये ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: You don't want to listen. It is up to you. He is your own leader. (*Interruptions*)

डा० रत्नाकर पाण्डेय : पहले आप उनको मना करिए । हम लोग तो आपकी आज्ञा मानते हैं ।

श्री विश्वजीत पृथ्वीजित सिंह : मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि आप मत बोलिए । आप रहने दीजिए । . . . । **(व्यवधान)** आप उनको बोलने दीजिए ।

SHRI P. SHIV SHANKER: Madam Deputy Chairman, while I was trying to caution, I must submit that certain situations arise in cases like this where difficulties are bound to arise. The misfortune in this country is that for quite some time persons who should have spoken for these weaker segments, have rather become sullen in speaking for their causes. We have come to realise, unfortunately, that it is only the Muslims who can be the leaders of the Muslims, it is only the leaders of the backward classes who could be the leaders of the backward classes. Gone are those days when stalwarts who belonged to uper castes fought for the rights of the weaker segments of the society and the minorities. This is the misfortune, as a result of which we have not been able to propagate properly the concept of social justice amongst the yougsters of the upper caste communities. The resultant effect is that they fall prey to agitations because they do not understand the complexities of the society. They have not been made to understand them, and certain political parties would like to take advantage of such situations, and this creates more problems. That is why I thought, and when I started I said that I must caution the Prime Minister. And the Government will have to take sufficient steps for mobilising a proper propaganda so that this is understood in the proper perspective by the people at large. It is only then that this type of announcement will have some proper effect.

Having said this, I would like to straightway go one after the other on the points of seeking the clarifications and I would reserve my right for a better date when we can discuss this whole issue in detail.

The announcement starts from the concept of social justice embedded in the Constitution and then speaks of three conditions to be met in terms of article 340(1) read with ariticle 15(4) as well as article 16(4). And when it comes to the announcement number 2, where it is said: "The percentage of reservation for the socially and educationally backward classes will be 27 per cent," socially and educationally backward classes have been reckoned in terms of article 15(4) and article 340(1) of the Constitution. Having said that when it came to the crunch of it, in para 3, it has been said that "this reservation will be applicable to services in the Government of India and public undertakings." My first objection on which I would like to seek the clarification is that without proper education no proper employment can be had. The socially and educationally backward classes require the educational facilities in term of article 15(4) for the admissions in the Central educational institutions be they the IITs, be they the medical institutions or other similar types of institutions. Why is it that article 15(4), which takes care of the admission to the educational institutions has been totally left out? And how do we expect that the backward class boys will well equip themselves so as to claim the better jobs that you are providing under article 16(4)? When you are providing the jobs under article 16(4), if you would not like to give them the weightage in the educational institutions, where would they end up? It is my imagination. Are you worried that if you reserve the quota for the backward classes in the educational institutions, the young boys and girls who are studying in these institutions and belong to the upper castes, would immediately start the agitation? I would like to tell you, if they have to start the agitation and if there are certain parties and certain people to prop up such agitations that agitation would start notwithstanding that you deny the benefit under article 15(4). This agitation will start straight on the basis of the advantage that they are going to get under article 16(4). Therefore, please don't get worried on this point. If you have come that far, you go farther. And since you are not going, this is going to create much more problem. You will not leave the backward classes happy. Neither the backward classes will be happy, nor the forward classes will be happy. Therefore, having gone that far, my submission is, the socially and educationally backward class concept

is embedded only in article 15(4). In article 16(4) it is not socially and educationally backward classes. It is the concept of backward classes of citizens in article 16(4). There is a vast difference between the two. Therefore, if you deny the advantage that has to flow to them in article 15(4), the advantage in article16(4) becomes negative in my submission. It does not have that piercing effect which it ought to have. Therefore, I would like to ask the Prime Minister what exactly he is thinking in terms of providing, reservation to the socially and educationally backward classes in the educational institutions of the Central Government? This is the first point I thought I should bring to your notice.

The second submission that I would like to make is, I am aware because I have been connected with the movement of the weaker sections in one form or the other right from 1950. I had to argue at least more than half a dozen cases in the Supreme Court on the backward classes matter itself. I have a worry which I would like to share and I would like to seek a clear assurance from the Prime Minister that every notification that will be issued, is bound to be challenged in the courts—either in the High Court or in the Supreme Court. I would like to have a clear assurance and a guarantee that the best legal talent will be employed so that in the judicial scrutiny the announcement that you are going to make in the shape of a Government order stands the test of law. Why I am saying this is because I get reminded of what had happened in the year 1981. I recall when Mr. Ram Naresh Yadav happened to be the Chief Minister of Uttar Pradesh, he issued the orders for the purposes of reservation for the backward classes. The matter was immediately indicated in the High Court. The High Court set aside the orders and at the time when you were pleased to be the Chief Minister of Uttar Pradesh, your Government pleader made a statement in the court that we would not like to pursue this in the Supreme Court on the ground that the Mandal Commission is under the scrutiny of ours. I would only like to remind you what had happened. It is there that I am bringing to your notice. It happened during your regime. It is not necessary that it must have happened....

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: May I give one information? I remember that notification which was issued earlier. In that, in fact, there was a ceiling. I mean that was the maximum reservation. I made the clarification that if a reservation has to be made, it is minimum—not that it is the maximum limit—that is the minimum reservation and he who comes by merit will come extra. This is what I clarified.

SHRI P. SHIV SHANKER: I said something different, Mr. Prime Minister. (*Interruptions*)... No, no. It is perfectly all right. I am not saying that. But your Government pleader made a statement in the court that he would not like to pursue the appeal. Now that only gives an impression sometimes .... (*Interruptions*). This is what I said that I welcome you, I congratulate you because at least in the company of Mr. Madhu Dandavate, you have developed a good commitment. I congratulate you. But I am speaking of those days ...(*Interruptions*)..

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: I had also a problem. You also have a problem there. Come.

SHRI P. SHIV SHANKER: My coming. Mr. Prime Minister is totally out of question. I do expect your coming sometimes on this side. Therefore, I would like to have a clear assurance on the matter because I have a fear. I have gone through these cases and therefore I know that in the judicial scrutiny, it will have to stand.

Then the third point on which I would like to seek clarification is that all of us are undoubtedly objective to achieve the concept of social justice. I would like to just seek the clarification which has been referred to by Mr. Mahajan.

[Shri P. Shiv Shanker]

But I would like to make it a little clear All of us I am sure, agree that we cannot allow a privileged class within the under-privileged people. By what parity of reasoning, Mr. Shiv Shanker and Mr. Paswan can be termed as backward? There is no ground for the purpose. Merely because we are born in those unfortunate classes is a different story. But once we have attained certain status, I do not think that we should be called backward. What I would like to say is this. Having said this, I would like to make a suggestion which I would like that the Prime Minister may kindly consider that when you are giving 27 per cent reservation for the backward class people, within the class, the income criteria should be fixed. The person who gets the lowest income, his child must get the first preference and then the gradation must be established. Having established the gradation so far as people like us are concerned, we should get the benefit at the last if the seats are left out and if the opening is still there. Why I am saying this? Otherwise what happens? I have got bitter experience. There will be classes within the classes. You will be developing privileged classes in the under-privileged people and if you are sincere for bringing in social justice, this in my view is absolutely necessary. But the 27 per cent reservation must go to that class of people alone. I would like to stress that. That 27 per cent of reservation must go to that class of people alone. Our brethren who are unfortunate, they must get the first preference because they must also be lifted. Otherwise, these things won't work. Therefore, I would like to know what the Prime Minister is pleased to think in this matter. Then very rightly it has been said and I would like to quote. We have got to remove the social tensions. This is a very complicated issue: It will be played up in different forms. It will also be received in different ways by different people. There would be the cases of inherent prejudices. People born in a particular background would react in that background alone. Therefore, we cannot for a moment leave the people who might belong to the upper castes but who are economically very poor. You have got to think of them apart from these 27 per cent. There could be no inroads into the reservation that has already been made for these classes but there could be reservation, say 10 per cent or whatever it is. Otherwise, there will be a great heart burning. An upper caste man merely because he happens to be a poor person should not suffer but the ruffers. There will be a rankling sense of injustice in his heart and that rankling sense of injustice would emanate in one form or the other. Now those who have gone through this report will appreciate as to what rankling sense of injustice would mean. Persons like us who have gone through it... (*Time bell rings*). Just five minutes more.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We are going to have a discussion, I suppose.

SHRI P. SHIV SHANKER: I am only asking clarification very alertly. If I sidetrack, you ask me to sit down and I will sit down. (*Interruption*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is also the Leader of a very large party in Parliament. Let us also take this into account.

SHRI PROMOD MAHAJAN: I am totally happy. I endorse everything except the allegations made against the BJP. I endorse his stand totally and I congratulate him for this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is the Leader of the Opposition. That also you must understand.

SHRI P. SHIV SHANKER: And I would like to bring to the notice of the Prime Minister, you can seek the inspiration for providing this weightage to these unfortunate segments in the upper castes which is adumbrated in article 46 of the Constitution. There they have talked of educational and economic weaker sections. They have talked about it This language is used. It has proved that in Champakam Dasurairajan case in which article....

SHRI RAM AWADHESH SINGH: which article?

SHRI P. SHIV SHANKER: In article 46.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: As far as as reservation is concerned, Article 15(4) does not say a single word.

श्री पी० शिव शंकर : मैं आपसे बाद में बात करूंगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: You do not get interrupted.

SHRI P. SHIV SHANKER: Madam Deputy Chairman, I am trying to show a way out. It is true that in *Champakam Durairajan's case*—1950 S.C.—the Supreme Court struck it down on the ground that what is contained in the Directive Principles is not enforceable. But from then on, much water has flown in the river. The Supreme Court has taken different views. Therefore, on Directive Principles, the Supreme Court's thinking itself has changed. I am only saying that it could be taken care of. Otherwise, this rankling sense of injustice will not bring in social justice in this country. Having said this, I would like also to make this submission that there are certain other segments of the society which require protection:

I would like to submit that the concept of socially and educationally backward classes would reveal that somethink will also have to be done for the minorities. There are three types of segments amongst minorities. The first segment is those who could be termed as socially an educationally backward classes in terms of Article 15(4) of the Constitution. This is one type of segment of people who should be taken care of. And in fact, here, pausing for a moment, I would like to invite the attention of the Prime Minister to paragraph 12.18 of the Mandal Commission's report. Volume I page 56. I am not going into the details. I would just like to submit this.

"After giving a good deal of thought to these difficulties, the Commission has evolved the following rough and ready criteria for identifying non-Hindu other backward classes:

(1) All untouchables converted to any non-Hindu religion."

They can straightway be brought into this category. I am submitting this for the consideration of the Prime Minister. This is part (i). Part (ii) says:

"Such occupational communities which are known by the name of their traditional hereditary occupations and whose Hindu counterparts have been included in the light of Hindu and other backward classes. (Examples: Dhobi, Teli, Dheemar, Nai; Gujar, Kumhar; Lohar; Darji; Badhai etc."

What I am submitting is this, Mr. Prime Minister. Take the State of Maharashtra. In Maharashtra, the list of backward classes does not include a single Muslim community. But the Mandal Commission has included them in the backward classes. Therefore, I would like to submit that in your announcement you have said that in the first phase you have decided to adopt the castes common to both the Mandal list and the State List as a result of which the Muslims in Maharashtra will be totally out. Even though the Mandal Commission has taken care of them, in the State list they are not there. I just gave an example. Therefore, in the orders that you are going to issue, I would request you to make an exception to this extent with reference to the minorities relying on this paragraph 1218. Those untouchables who have been converted to other religions and those who have got the occupational approaches like the Hindus could straightway be included in the first phase itself. That is the first point which I thought I should make.

Then, the second point is, today, the way of life of the minorities, particularly the Muslims, is in a very bad shape. It is a slur on our democracy that in spite of the fact that we have such a sizeable number of people in this community, we do not find their proper representation anywhere in the higher hierarchy of the services, either in the Government of India or in the States.

श्री राम अवधेश सिंह : 40 साल आप कहां थे?

श्री पी० शिव शंकर : मैंने पहले ही कहा है, हमने नहीं किया है, आपने किया है, हम आपका अभिनंदन करते हैं । हमने शुरु ही वहां से किया है.... **(व्यवधान)** इस बीच कम हुए हैं उस वक्त काफी थे । आपने तो कुछ किया ही नहीं । आप अब तक पावर में थे ही नहीं । आपने कुछ किया ही नहीं ।

The point that I am trying to say is this that the entire Muslim community will have to be treated as a backward class of citizens for the purpose of article 15(4) of the Constitution because in 16(4) it is not social and educational backwardness. In 16(4) it is only backward class of citizens. Why I am saying this is, it is a slur on our democracy. We are satisfied,—it has happened over the time in many cases, in the Government of India—if there is one Secretary, we feel happy. एक तो मुसलमान हो गया, खत्म करो। That is why I said at the very outset that there has not been that conciousness among us to try to encourage them consciously. That is why these loopholes have come in. Over the time these difficulties have come in. Let us face the realities. Now the argument that these people are not coming into the educational institutions and therefore they do not come into the higher hierarchy is no argument at all. I can give umpteen arguments. I myself was a party where we had to recruit certain constables. Out of 990 in the CRPF, not a single Muslim was recruited in the year 1989. I had to fight with the Home Minister and it was only then we had gone through a deal. I would not like to take the time of the House to explain as to how we had done, but when we fought, 71 persons were included. I am only trying to say that there has been a certain amount of prejudice that has developed over the years. There is not that commitment in the society. All of us are responsible for that. I would not like to particularly blame anyone. All of us are responsible for non-commitment and we have not properly created the atmosphere. That erosion of atmosphere will have to be arrested and, therefore, I would submit that having regard to the language of article 16(4), you can take the umbrage under that language and give protection to the minorities, treating them as the backward classes of citizens for the purposes of services.

Then the other point is, as I said, with reference to the poor people in the upper castes you can take the umbrage under article 46 equally all those even the Muslims who may not fall in 15(4) social and educational backwardness, others could also be brought within the meaning of article 46 for the purposes of providing educational facilities to them. So this community will have to be taken care of. This community is unnecessarily sulking back. We have got to infuse confidence in them. We are responsible for that. Everyone of us is responsible for that. Therefore, we will have to arrest that sulking. We will have to create that confidence in them so that the response comes properly from them. We always talk of their joining the national mainstream, but we do not take any action, this creates the problem. Therefore, my submission would be with reference to minorities under articles 15(4) and 16(4) you can take the umbrage and you will have to create a situation where their plight could be made better in services and admission for their children in the educational institutions.

Now the next clarification which I would like to seek which is number six is when are you going to issue the order? You have announced this. The statement has come. The statement has come because Mr. Devi Lal, your friend is creating problem.

And I hope that there are many more troubles so that we get such benefits. You have given this benefit because Devilal is creating troubles for you. We want more troubles to come for you so that we get more benefits of this nature, so that it is advantageous to the Backward Classes, to the Scheduled Castes, to the weaker sections, to the minorities, so that people feel at least a little happy about it...

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान): आपको याद होगा इसी सदन में आप लोगों ने और आपने इधर के सदस्यों ने सवाल को उठाया था कि सरकार मंडल कमीशन की सिफारिश को कब लागू करने जा रही हैं और प्रधान मंत्री जी से आपने पूछा था । प्रधान मंत्री जी इसी जगह पर कहा था कि मैं वैलफेयर मिनिस्टर को कहता हूं कि सीधे केबिनेट में लाकर के रखें और तुरन्त उस पर निर्णय करने जा रहे हैं अगले सेशन से पहले और अगला सेशन कल शुरु हुआ हैं और इसके पहले दिन ही आकर के रखा गया यहां के निर्देशानुसार । इसलिये इसमें कोई रैली वगैरह का मामला जो आप जोड़ते हैं उससे कोई मतलब नहीं हैं ।

श्री पी० शिव शंकर : पासवान जी, जहां सर्वप्रथम मैं प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं वहां आपका भी अभिनंदन करता हूं क्योंकि आपने कम से कम अपना इफ्लुएंस इस्तेमाल किया है । दण्डवते जी बैठे हैं उन्होंने भी इस्तेमाल किया । कुछ तो हुआ हैं । देखिये, लेकिन यह कि कल जब मैं बोल रहा था कि आज 12 बजे के लिये कर दीजिये, आप तो तैयार नहीं थे । तो लाजमी बात है कि देवी लाल जी गड़गड़ कर रहे थे । आज अखबारों में आना जरुरी था ताकि कम से कम यह बैकवर्ड क्लासेज के लोग वगैरह... **(व्यवधान)**

श्री राम बिलास पासवान : यह काम तो रैली के कारण हो रहा है और दूसरे जो इतने सारे काम हुये हैं शड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के और दूसरे वीकर सैक्शन के लिये वह किस कारण हुये हैं ? यह कमिटमैंट गवर्नमैंट कमिटमैन्ट हैं ।

श्री पी० शिव शंकर : मुश्किल यह पड़ गयी हैं आपको कि कांशी राम उनके साथ हो गया हैं यह मुश्किल पड़ गयी हैं । नहीं हम तो चाहते हैं और इसी तरह हो जाये । कुछ तो फायदा होगा हम लोगों को, जो अब तक नहीं हुआ कुछ तो होगा ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : तकलीफ यह हैं कि सरकार की अपेक्षा देवी लाल जी का अभिनंदन ज्यादा कर रहे हैं ।

श्री पी० शिव शंकर : नहीं-नहीं, वह तो देखिये आपके साथ रहे हैं.... **(व्यवधान)** I am more concerned..

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Shiv Shanker, you have taken 42 minutes already.

SHRI P. SHIV SHANKER: I wil complete. After this I will go fast. The Sixth clarification which I though of seeking is when the Government is going to issue the order. I would have expected that since yesterday the announcement of the Prime Minister came, the Government order would have been issued today, taking all these aspects into consideration. If it is delayed, then it defeats the purpose. And what I am afraid is if some friends—may be, there are some friends on your side, some friends sitting there—make the students create problems, then this will go into dither. I would not like that. Therefore, I would like to know exactely as to when you are likely to issue the order so that we feel satisfied.

The next point which I would like to ask is: What is the concept of the Government....

THE PRIME MINISTER (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): May I say, before the weekend!

SHRI P. SHIV SHANKER: Thank you very much, Mr. Prime Minister. I am grateful to you for this..

SHRI VIHWANATH PRATAP SINGH: May be, tomorrow itself.

SHRI P. SHIV SHANKER: I am very grateful, I am extremely grateful. I am only requesting that it should be so worded as not to create problems in a court of

[SHRI P. SHIV SHANKER:]

law. That is all I am concerned with. I am prepared to place my services at your disposal if I have got to. I am prepared to place my services at your disposal..

SHRI V. GOPALSAMY: We do not want to put you to that embarrassment as Mr. Tewary had put you do.

SHRI P. SHIV SHANKER: Then, I would also like to wnow what is the policy is.When the reservations have been effected there has been a long fight by the Backward Classes that those who come in the merit list should not be adjusted in the reservation qouta and his has been permitted by various tate Governmet, those who come in merit themselves.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: That will not be adjusted.

SHRI P. SHIV SHANKER: Thank you very much. I am grateful to you.

SHR MADHU DANDAVATE: You are implementing our manifesto!

श्री पी० शिव शंकर : मेरी कहां हैसियत है । मैं तो एक्सरसाइज करना चाहता हूं क्योंकि मौका अच्छा है । हम को देवी लाल मिल गया, कुछ फायदा तो हो गया ।

I would also like to submit that this reservation must also percolate into the promotional quota because there has been a long fight on this issue also and I would request the Prime Minister kindly to consider this and come out with an assurance because in many a case in many a State, this has been granted, in many a case this has been graned, except one or two where they have said that these are the services where they cannot allow.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: On this point, you have also pleaded with the Commission.

SHRI P. SHIV SHANKER: Yes. I have argued and the Commission has agreed. I have argued and the Commission has agreed with my view.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please let him finish.

SHRI P. SHIV SHANKER: I was called this Commission in 1980 and I gave all my arguments and they have accepted and that is why I am requesting the Prime Minister to see that the G.O. or the Government Order is issued and I want that this safeguard should be there.

I also request the Prime Minister to see that the carry-forward rule should never be put as a clog because this has worked as an justice to the Scheduled Castes so far. This clog has worked as injustice to the backward classes in the States Therefore, he carry-forward rule is a clog on fore, the carry-forward rule is a clog on the appointments and promotions of the backward clases and the Scheduled Castes and this must go since a lot of mischief has been done in this case.

There should be relaxation in the upper age limit for recruitment into the services for these backward classes. What about the private sector to which financial assistance is given by the Government? This can be done there also and the Commission has gone into it and has recommended. It has gone into the details of it. The Financial assistance that they get is from the financial institutions which are nationalised and therefore, they have said that this must be placed on them. I am just bringing it to your kind notice so that you can take this into account.

Apart from his, Mr. Prime Minister, there are lots of educational concessions and financial assistance which have been envisaged in the Commission's Report itself for the backward class boys for purposes of education, that is, books, other types of facilities, schorlarships and so on. I am just giving this now. These quest you to kindly consider all these and have been provided there. I would reclarify whether the G.O. which is going to be issued would contain all these things.

I would now like to ask about the second phase. When do you start the second phase? On the first phase, you have started something. In the second phase, you have to be very careful so far as the Mandal Commission Report itself

is concerned. The list, if you kindly look up, has been horrible. I would not like to go into it just now. But I would like to congratulate you for taking out the common castes. I know what a havoc it would have played if you were to accept the castes that are menioned in the Mandal Commission Report. May I bring to your kind notice that except one tiny castes in Andhra Pradesh have been included in it? Except one tiny caste which is not even 0.005 per cent, everybody is included. That is why I would like to congratulate you on adopting this approach. But this will have to be sustained in a court of law. I had my own arguments at a time when I was in difficuly. That is why I am worried that it should be formulated in such a fashion order which is to be issued that the court dose no stilke down this Then, lastly, I would submit that the reservations that have been announced should apply to all the vacancies that are available on the date when you were pleased to make the announcement

Having said all this, Mr. Prime Minister, I would like to once again congratulate you for whatever announcement you have made.

Thank you.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Madam, let me at the very outset, congratulate the Government for discharging the responsibility which should have been discharged by the pervious Government. I cangratulate the Government because it has brought the Mandal Commission out of hibernation.

I have a strange feeling after listening to the speech of the Leader of the Opposition because at the beginning he has imputed motives.

SHRI P. SHIV SHANKER: No, I have not imputed....

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: He says it is hypocritical that word still rings in my ears. The point is that it is unfair to impute motives when a good work is done. It is more upfair because the motive is being imputed by the leaders who should themselves nave discharged this responsibility much before. I understand where the shoe pinches. As a result, I thunk, the Congress Party should not be jealous because somebody is doing a job which should have been done by them.

Madam, straightway I am coming to a number of clarifications. But before coming to the clarifications, I would like to caution the Government because the quota of reservation is running up to 50 per cent. Therefore, there is a possibility of higher castes' backlash in the country Government should understand that when you are giving rights to some backward class, somebody in the society is becoming jealous. It is bound to be because we are facing a terrible problem of unemployment Therefore, Government should not underestimate the possibility of a backlash of higher castes. And in order to confront and face that situation, what we need is not a declaration only but what we need is a political campaign in the country, because many of the political parties play a doubtful role in such a situation. There are people with double faces political understanding. There are people who support things in Parliament but going out of Parliament they instigate the backlash. We have seen a number of instances. Therefore, the Government must be prepared to face such an eventuality after this is done.

Thirdly, Madam, I feel that the Opposition party is suffering from a particular personality phobia—Devi phobia. They are suffering from Devi Lal phobia. Whether Devi Lal had resigned or not resigned, whether Devi Lal had been dropped or had not been dropped, this decision would have come up in Parliament as was promised by the Government. Therefore, this is not because something terrible has taken place in the inside of the ruling party. It is taking place because at least on this issue this Government is keeping its promise.

[Shri Guru Das Das Gupta]

This Government might not be keeping its promise in other sectors. But at least on this issue, Government is keeping its promise. Therefore, instead of congratulating the Government, without dubbing it as hypocritical, I think the Leader of the Opposition should have been a little more generous in his compliments-maybe left-handed compliments—to the Government. There are a number of castes which are not included in the State List and which are also not included in the Mandal Commission List. Therefore, how these castes which have been omitted are going to be tackled by the Government. I have read the list. This is the first phase and since it is the first phase. I call upon the Government to kindly consider the inclusion of these castes which are not till now included in any of these lists. I wish the Prime Minister gives his opinion on it. I support the Leader of the Opposition that there has to be consequential reservation in the educational institutions. If no consequential reservation in the educational institutions is made then you cannot provide them with reserved jobs because the people will not have the requisite qualifications. I wish the Prime Minister gives his clarification on this point. Thirdly. I whole-heartedly support the inclusion of a number of segments in the Muslim community. I do not know whether the Muslim community would like itself to be called backward. It is for them to say yes or no. I do not know what their reaction is. The State cannot be selective in its approach. The State cannot be selective. Therefore those segments of the Muslim community which seem to be backward should be included in this list.

THE PRIME MINISTER (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): We will be sympathetically inclined to the suggestion regarding minorities. But we have to work it out. The intention of the Government is to consider it sympathetically.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Thank you. Prime Minister. I believe that these Mandal Commission recommendations will be implemented and there will be no delay. There has to be a time-bound programme. I wish the Prime Minister gives his commitment as to when this recommendation is going to be executed.

Lastly, I also appreciate the sentiments expressed by the Leader of the opposition. What about those institutions which may not be Government institutions but which are financed by the Government to some extent? I mean those institutions which are given Government aid. Giving of Government aid should be made conditional to acceptance of the Mandal Commission recommendations by these institutions. Again I congratulate the Government and I wish the Government takes immediate steps for its steady and immediate implementation. Thank you.

श्री मोहम्मद खलीलुर रहम : डिप्टी चेयरमैन साहेब मैं, सब से पहले अपनी तरफ से मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब को पुरखलूस मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जिस तरह से नेशनल फ्रंट के मेनीफैस्टो में कहा गया था यकेबाददीगरे मुख्तलिफ किस्म की स्कीमात को रूबेअमल लाया जा रहा है चुनांचे यह मण्डल कमीशन की सिफारिशात को भी नाफिज़ किया गया है । यह उसी की एक कड़ी है इसके लिए बाक्यतन मोहतरम वज़ीरे आज़म और नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट काबिले मुबारकबाद है । मैं खास तौर पर अभी जैसे कि कहा गया पूछना चाह रहा था कि अक्कलियतों में भी खास तौर पर मुसलमानों में कई समाजी एतबार से और तालीमी एतबार से निहायत कमज़ोर तबकात हैं क्या उनको भी मण्डल कमीशन की सिफारिशात में कवर किया जाएगा । मगर अभी अभी जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने गरुदास दासगुप्त जी को क्लेरीफिकेशन में यह कहा कि इस ताल्लुक से भी हकूमत गौर कर रही है तो मुझे यह सुन कर बेहद खुशी हुई और

मुझे पूरी त्वक्को है कि अक्कलियतों के ताल्लुक से और फिर खास तौर पर मुसलमानों के ताल्लुक से भी गौर किया जाएगा । इतना कहते हुए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

†[شری محمد خلیل الرحمان : ڈپٹی چیرمین صاحبہ - میں سب سے پہلے اپنی طرف سے محترم پرائم منسٹر صاحب کو پر خلوص مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے نیشنل فرنٹ کے مینی فیسٹو میں کہا گیا تھا - یکے بعد دیگرے مختلف قسم کی اسکیمات کو روبہ عمل لایا جا رہا ہے - چنانچہ یہ منڈل کمیشن کی سفارشات کو بھی نافذ کیا گیا ہے - یہ اسی کی ایک کڑی ہے - اسکے لئے واقعتاً محترم وزیر اعظم اور نیشنل فرنٹ گورنمنٹ قابل مبارکباد ہیں - میں خاص طور پر ابھی جیسا کہ کہا گیا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اقلیتوں میں بھی خاص طور پر مسلمانوں میں کئی سماجی اعتبار سے اور تعلیمی اعتبار سے نہایت کمزور طبقات ہیں کیا انکو بھی منڈل کمیشن کی سفارشات میں کور کیا جائیگا - مگر ابھی ابھی جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے گرو داس گپتا جی کو کلیرفیکیشن میں کہا کہ اس تعلق سے بھی حکومت غور کر رہی ہے تو مجھے یہ سن کر بیحد خوشی ہوئی اور مجھے پوری توقع ہے کہ اقلیتوں کے تعلق سے اور پھر خاص طور سے مسلمانوں کے تعلق سے بھی غور کیا جائیگا - اتنا کہتے ہوئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں -]

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं एक सूचना देना चाहता हूं । गवर्नमेंट का इरादा है कि माइनॉरिटीज़ कमीशन जो है उसको उसी तरह से अख्तियारात दिये जाएं जैसे एस०सी०, एस०टी० कमीशन और वूमैन कमीशन को दिये गये हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीया उपसभापति महोदया, मैं इस देश की जनता और उसके बाद इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जो आश्वासन चुनाव के समय इस देश की जनता को दिया गया था उसको पूरा करने की कड़ी में इस सरकार ने क्रान्तिकारी कदम उठाया । वरना हमारे और राम विलास पासवान ऐसे लोग आज तक दिल्ली में सत्याग्रह करते होते मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने के लिए और जेल जाते होते । पिछड़े वर्गों के संबंध में पहला आयोग काका कालेलकर बैठाया गया था 29 जनवरी, 1953 को, उसने अपने रिपोर्ट तत्कालीन सरकार जिसके प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरु थे, के पास, 30 मार्च 1955 को भेज दी । लेकिन इस देश की संसद में कभी भी काका कालेलकर की रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया । दूसरी मंडल आयोग की रिपोर्ट थी ।-इन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को 31 दिसम्बर 1980 को दे दी जब इस देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी होती थी । 30 अप्रैल 1982 को तत्कालीन संसद में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं प्रधान मंत्री थीं, यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी । 1982 से लेकर 1989 तक 7 साल बीत गये— और उसके पहले भी 2 वर्ष तक दिल्ली में और देश भर में सत्याग्रह आंदोलन होते रहे, दिल्ली की बोट क्लब की रैली को चौधरी चरण और कर्पूरी ठाकुर ने सम्बोधित किया केवल सरकार पर दबाव डालने के लिए कि मंडल आयोग की सिफारिशों को संसद में रखा जाये और रख दी गयी तो उसके बाद 7 साल तक उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ । इसलिए मैं एक बार फिर वर्तमान सरकार और देश की जनता के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं..... **(व्यवधान)** तीन बार बहस हुई है । बहस भी करायी गयी जब प्रदर्शन और

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

आंदोलन हुए, हजारों लोग देश भर में जेल गये ।

एक तो इसमें 27 प्रतिशत के लिए आरक्षण किया गया है । यह मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुकूल है क्योंकि सिफारिश में कहा गया है :

"In view of this legal constraint, the Commission is obliged to recommend reservation of 27 per cent only even though their population is almost twice this figure."

लेकिन जो संस्तुतियां है उनके संबंध में मैं स्पष्टीकरण लेना चाहता हूं ।

"The above scheme of reservation in its toto should also be made applicable to all recruitment to public sector undertakings both under the Central and State Government, as also the nationalised banks."

वित्त मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, मेरा कहना यह है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनके संबंध में मंडल आयोग ने अपनी संस्तुति दी थी लेकिन इस संबंध में जो घोषणा की गयी है उसमें राष्ट्रीयकृत बैंको को क्यों अलग रखा गया ? दूसरा, जैसे शिव शंकर जी ने भी ध्यान आकर्षित किया, पैराग्राफ 13–15 में :—

"All private sector undertakings which have received financial assistance from the Government in one form or the other should also be obliged to recruit personnel on the afore-said basis."

तो उसके संबंध में जब प्रधान मंत्री जी उत्तर देंगे तो कृपया स्पष्टीकरण देंगे । 13.16 में कहा गया है—

'All universities and affiliated colleges should also be covered by the above scheme of reservation."

लेकिन जो घोषणा है उसमें इसको भी छोड़ दिया गया है । इसके कुछ कारण हो सकते हैं लेकिन मैं इसके संबंध में स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

एक और बात शिक्षा के संबंध में भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि मंडल आयोग ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था कि बहुत से जो शिक्षा के संबंध में कंशेशन दिये जाते हैं उनको भी उपलब्ध कराना पड़ेगा । इन संस्तुतियों को पढ़कर मैं सदन का समय नहीं नष्ट करना चाहता हूं लेकिन एजूकेशन कनसैशनके संबंध में मंडल आयोग ने 13.18 और 13.19 में बहुत कुछ अपने सुझाव और संस्तुतियां दी हैं और उसमें उन्होंने जो कहा है उसको पढ़ना आवश्यक है । 13.20 में है—

"It is well-known that most backward class children are irregular and indifferent students and their dropout rate is very high. There are two main reasons for this. First, these children are brought up in a climate of extreme social and cultural deprivation and, consequently, a proper motivation for schooling is generally lacking. Secondly, most of these children come from very poor homes and their parents are forced to press them into doing small chores from a very young age." "Upgrading the cultural environment is a very slow process."

और उसके बाद मंडल साहब ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सुझावों को दिया । इसलिए मैं इस संबंध में जानना चाहता हूं कि सरकार का आगे क्या करने का इरादा है और यहां पर जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उनकी बात उठाई गई है । डा० राम मनोहर लोहिया तो बराबर कहा करते थे कि 60 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए और उनके 60 प्रतिशत आरक्षण में महिलाएं भी शामिल थीं, उसमें अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी शामिल थे और पिछड़े वर्ग के लोग भी शामिल थे । हमारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग भी शामिल थे ।

एक माननीय सदस्य : पोलिटिकली बैकवर्ड क्यों छोड़ दिये ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : तो माइनार्टीज़ कमीशन, एक आयोग बिठाया गया था । जहां तक मुझे स्मरण है, डा० गोपाल सिंह कमीशन आन माइनार्टीज़ था । कदाचित, शायद डा० गोपाल सिंह

की दिल्ली में मृत्यु भी हो गई है । तो डा० गोपाल सिंह कमीशन आन माइनार्टीज़ जो है इसके संबंध में बहुत बार हम लोग सदन में और सदन के बाहर आवाज उठा चुके हैं कि आखिर उस कमीशन की क्या रिपोर्ट .. ? उसको सदन के पटल पर रखा जाए । पिछले सदन में भी मेरा एक स्वयं प्रश्न था इस संबंध में, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी, पिछली सदन से मेरा तात्पर्य है पिछली सरकार के समय में तो मेरा अनुरोध था कि डा० गोपाल सिंह कमीशन आन माइनार्टीज़ की क्या संस्तुतियां हैं, उनको बताया जाए ।

जब एक आयोग बिठाया गया था, तो उसको देश की जनता को जानकारी होनी चाहिए ।

मैं प्रधान मंत्री जी को खुद बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अल्प-संख्यकों के संबंध में कुछ आश्वासन दिया है और आश्वासन यह भी कि जो माइनार्टीज़ कमीशन है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा । लेकिन डा गोपाल सिंह कमीशन आन माइनार्टीज़ की क्या संस्तुतियां हैं, मेरा कल्याण मंत्री जी से भी अनुरोध हैं कि कम से कम उस कमीशन की जो रिपोर्ट हैं, उसको सदन में रखा जाए, ताकि हम लोग उसका अध्ययन कर सकें और जब माइनार्टीज़ के संबंध मे विषय आए, तो उस पर हम लोग अपने विचार व्यक्त कर सकें ।

धन्यवाद ।

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh): Madam Deputy Chairman, on behalf of our party, I welcome the statement made by the hon. Prime Minister yesterday on the Mandal Commission's Report. It is a welcome feasture that almost all sections of the House have supported it. Particularly, I am happy that Mr. Shiv Shanker, my friend, who is the Leader of the Opposition, has welcomed it.

This has been delayed for over a decade. The Congress Government was sleeping over this for almost a decade. I am glad that now they have, at least, welcomed it. It is a good thing.

While implementing it, we should see in what context it was brought and how it should be implemented because the whole country is backward. It has remained backward for forty-three years. Otherwise, if we had made proper progress, there wouldhave been no need for this reservation at all. This would not at all have been necessitated. The national movement was committed to establishing a casteless society. A caste-ridden society was almost taken as a bane of the country's problems. Even after forty-three years of our independence, that sort of casteless society has not been created because of uneven development, because of lack of attention by the ruling party and because of our backwardness itself. Therefore, unfortunately, because of this situation, these repeated requests for reservation from various section of our people come up. Anyway, in the given context, it is a very good thing that the Government, the National Front Government, has come forward to implement the recommendations of the Mandal commission. We welcome it.

Now, it has been suggested from various quarters. I do not want to say that anybody's progress should be curtailed. Everybody should get equal opportunity. But we had this Mandal commission Report in a particular context and, specifically, it nas to be applied now to certain castes which are backward both educationally and socially. So, now to enlarge it to a certain extent as to bring in so many people would nullify the very attempt that we are making. It should not be nullified. Any suggestion should not be such that it would nullify the recommendation given

[Shri Moturu Hanumantha Rao]

now. So, I am all for the implementation of the Mandal commission report. Certain problems may arise consequently and they are to be attended to by the cabinet and the hon. Prime Minister. Merit would be the first to suffer. The reason being so many people have got to be promoted, so many people who are backward socially or educationally have to be given jobs. If they are to be brought in the question of merit comes in.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Would you ask the question?

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: I have just begeun. Two or three points are to be clarified by the hon. Prime Minister. The point is, merit should not be made to suffer. In order to see that the merit does not suffer this reservation should be extended not only to the educational institutions but it should also be seen that those sections are properly educated. Some of the people belonging to forward castes, having economically better status, would be able to spend more money to get tuition. Due to lack of tuition backward classes would suffer even in the educational institutions. So, certain provisions are to be made to see that these sections which are given reservation are properly educated and that there is some arrangement made for tuition etc.

The hon. Prime Minister has to clarify one more point. The so called forward castes are having so many economically backward families. These economically backward among the forward castes would suffer .They are bound to suffer because according to the reservation provision, they would not be able to either get employment or get a seat in any educational institution or college. So, the hon. Prime Minister has to give an assurance to those economically backward families among these forward castes that atleast one job would be provided to each such family. Already, the principle of right to work has been approved, but it takes time to get it implemented. Therefor ,I ask the hon. Prime Minister to give an assurance that at least for the time being one job for each such family belonging to the forward castes would be provided. Otherwise, there would be some apprehension that those people would never be able to get any employment or any seats in college or in any other educational institution. Therefore, the hon. Prime Minister has to clarify these two points, the one is about merit and arrangement of tuition and the other is an assurance for providing atleas on job for each economically poor family belonging to the forward castes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Salaria, not there. Professor Sourendra Bhattacharjee.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Madam, it is a strange spectacle that at the threshold of 21st century, our country is getting divided with reserved sectors almost all along the line. Of course, it is but a day which divides one century from another. So the change of century might not affect the course of our history.

The Leader of the Opposition has welcomed the Prime Minister's announcement in spite of his announcement being politically motivated and hypocritical. He talked of philosophy of reservation of the Congress. The reservation was envisaged for the Sheduled Castes and the Scheduled Tribes, as you all know, for ten years in the hope that during that period, backwardness of these castes and tribes would be done away with; we know with what result and now it is to be compounded.

I am not against reservation for the backward classes, nor would I raise the question as to what happens to a Kshatriya like our Prime Minister or a Brahmin Bhattacharjee like me. That is not my issue. But the question is, lately I came across a news item that from the Union Ministry of

Finance—the Finance Minister was present here so long, but the Prime Minister is there—instructions have been issued to all the State Governments that there should be no appointments in any Government Department or State Government Departments, barring in the Health Department and schools. An embargo has been continuing in the Central Government. If this situation persists, what does this reservation of 27 per cent mean for the backward classes whose aspiration would be aroused.

Another point should be verified by the Prime Minister. Why should the industrial houses, who run their industries practically out of public finance, from the money provided by the financial institutions, themselves providing for only 4 or 5 per cent of the investment, not be covered by this reservation?

Another side, of course, is the academic aspect where also reservation should be there. That point of clarification would be welcomed. Thank you.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): Madam Deputy Chairman, I have four questions to ask. First of all, Mandal commission was set up by the Janata Party Government.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: That means your party.

SRHI SUBRAMANIAN SWAMY: Yes, of which ou have written off the legacy, although the Prime Minister has nothing to do with that legacy. But most of all...

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: We are interested in preserving the vanishing species

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: But don't vanish yourself. The rate at which you are going, you will vanish very quickly.

PROF. MADHU DANDAVATE: Are you requesting him to join the Janata Party with retrospective effect?

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: But most of all, I would say that the credit for the concept of providing reservation to socially backward classes should go to Dr. Ram Manohar Lohia who systematically argued and articulated the concept. But with the announcement now made, I think there are four points on which I would like clarification. I certainly welcome the announcement of the Government and I consider this as the first victory of Mr. Devi Lal outside the Government. There is no doubt in my mind that it is directly linked with the rally that has been called for tomorrow. Anyway, first of all, since 27 per cent have been reserved for the socially backward and 22.5 per cent is already there for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, this would mean, in view of the Supreme Court judgment, that there is no possibility of further reservation. This means that he has given up making reservation for women altogether. And, if I remember, in the whole of 1988 and in most part of 1989, he talked a lot about reservation for women including reservation of 30 per cent of the seats in Parliament and Assemblies for women, and I doubt whether he would reach even the three per cent figure. Anyway, I would like to know whether the Government has any proposal. . .

SHRI P. K. KUNJACHEN: You have not said anything about appointments.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: You don't know anything. You are only supporting them from outside. I know them from inside.

(Interruptions) . .

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Inside out!

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I stand corrected by the Prime Minister—I know them inside out. So, I would like to know whether the Government proposes to go back to the Supreme Court and ask for an amendment or review of the judgment. That is the first point.

The second point I want to know is—the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are a completely different category—whether he would consider that after two generations having taken the benefit of the reservation, a family should cease to be eligible for further reservation so that other sections may also be able to get it—some castes taken out of and some castes brought into the definition of "socially backward".

The third point I would like to know from the Prime Minister is as to what happened to the right-to-work concept about which he also talked quite a lot and about which, I think, this is, psychologically, the right time to make a clear statement.

Finally, I would like to say, at least, please be careful with the dynamcis that you are letting loose by these new reservations that you have announced. What this would mean is that the reservations for the socially backward would really be for Government service and then, in Government service there are certain restrictions: It won't be in Defence, Intelligence and so on. But, by and large, it is for the Government and, perhaps, for educational institutions. Now, the upper castes, who are forward castes, with money and ability what they would do is, having been starved of opportunities in the Government sector, they would go into the private sector, particularly industry and Services—and these are higher paying areas. As a consequence, what will happen is that again the upper castes will be the richer section of the society and, the socially backward, finding the reservations attractive, will end up in Government service. And I may draw your attention to what has happened in Tamil Nadu where the reservations literally forced the Brahmins out and they went into business, and all that has happened is that there is no real change in the income distribution in Tamil Nadu despite the severe reservations. So, the outcome of having reservations only for Government services would mean that, again, people with less income would end up being socially backward or the socially backward would end up with less income, and the upper castes would find intelligent ways of breaking this hold on jobs and get into the private sector and again the income distribution would remain unchanged.

These four questions I want to ask him. Thank you.

6.40 P.M.

SHRI G. SWAMINATHAN (Tamil Nadu): Madam, considering the time, while welcoming the announcement made by the Government on the reservation policy on the backward classes, I will straightway come to the questions. The questions are:

One: Will the balance 50.5 per cent be available for competition for the reserved communities or will it be exclusively open only for the other communities?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: It will be open. This is the minimum reservation. In competition they are open. They can compete and get it.

SHRI G. SWAMINATHAN: That is, the backward communities can compete in that.

Second, will the Government come forward to earmark certain percentages from out of the backward communities to the most backward communities as it has been done in Tamil Nadu because there are some communities within the backward basket,

which are more backward, like the Vanniyar community in Tamil Nadu. Like the Thevar community, the Mukkulathor community, there are so many communities. In Tamil Nadu there has been a hue and cry. These communities wanted a most backward list. Will the Government come forward to have a most backward list?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: We are accepting the State list. So, those will come in Tamil Nadu.

SHRI G. SWAMINATHAN: There are backward and most backward communities.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: We are accepting the State list. So, they will come, and there will be no problem.

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE): But the most backward should not consider the backward as forward.

SHRI G. SWAMINATHAN: No. I am talking only about backward communities and the most backward communities. So, that list will also come to the Government of India. I am happy to hear that it will also be within the reservation. It has not been mentioned in the statement.

Three, will the Government consider introducing caste column in educational admission applications so that the caste reported cannot be later tampered with easily for jobs. It is the experience in Tamil Nadu that people from the upper castes sometimes get the reserved caste certificates by tampering with it. So, unless you have a caste column in the forms for college admissions etc, this may be tampered with later. That is why in Tamil Nadu we have a caste coloumn. While admitting a boy or a girl in the school, the caste is mentioned. Will the Government come forward? They have abolished the caste column in Government of India and when it was taken up in Tamil Nadu, the Government of Tamil Nadu said that it was not going to abolish it. Will the Government think of introducing the caste column in the application forms to educational institutions because they have recently abolished it? I am saying this only because later on there should be no tampering with it, once it comes up.

Four, will the Government consider exclusive reservations on the basis of individual caste within the backward quota so that some of the minor castes may not be overshadowed by major castes? This has been a problem which has been cited mainly in Karnataka and other places where in the backward list there are some castes which are not getting admission at all. So, they want caste reservation within the quota on the caste basis. Will the Government come forward to think about this matter?

Five, will the Government consider haing a caste census? Now we are taking census. During the previous Chief Minister, MGR's period, when this question of backward classes came up, every backward class said "We have a percentage of 30, 40, etc." When the whole thing was totalled up, it came to 156 per cent. Then nothing could be done. The most backward community, Vanniyar, wanted certain reservation. The Mukkulathor community wanted certain reservation. So, will the Government consider this?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: On the same post we have to appoint two persons.

SHRI G. SWAMINATHAN: How to earmark the percentage became a very great problem in Tamil Nadu. So, now we are taking a census because every caste is now saying, "We are so many lakhs." The total goes beyond the population of Tamil Nadu. It is better that in the census itself we have a caste column so that from

[Shri G. Swaminathan]

the beginning caste could be earmarked so that there cannot be tampering and we also now clearly how many castes are there and the what population is of each caste so that tomorrow for job reservation, for educational reservation it will be helpful.

Seven, will the Government give special consideration within the backward quota to those whose parents are not employed, that is, the first-generation job-seekers? In Tamil Nadu, special marks are given to those boys who come to colleges, whose parents are not educated five marks are being given. Will such benefit be given? In Tamil Nadu it is there. Whatever be the region, I am talking only about. Tamil Nadu. Five marks are now being given. (*Interruptions*)

Will the Government also come forward to give special consideration within the backward quota to those whose parents are not employed, that is, first-generation job-seekers? Special marks may be given to them. Will special consideration be given within the backward quota to those whose parents earning is below the income-tax limit?

These are all the questions, and I would like the hon. Prime Minister to reply to them.

Thank you.

SHRI T. R. BALU (Tamil Nadu): It is yet another milestone in the history of the National Front Government and one more feather in the crown of our hon. Prime Minister, Mr. V. P. Singh, who has come forward boldly to implement the Mandal Commission's Report, which was shelved by the Congress rule for more than ten years. The legacy of the late lamented leader E. V. Ramaswamy Naicker and Dr. Anna and the present Chief Minister, Muthamil Arignar Dr. Kalaignar Karunanidhi and as a whole the dream of the Dravidan movement has come true today. I, as one of the Members, who hails from the backward classes on behalf of the DMK party, congratulate our hon. Prime Minister, Mr. V. P. Singh. It will be more appropriate to recall the statement of our leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi made yesterday at Madras. I quote:

> "The Mandal Commission's Report was kept in cold storage for the past ten years by the Congress (I) Government, which was callous and reluctant to implement it despite movements held by the backward class people. To put an end to this attitude, the announcement made by hon. V. P. Singh today in Parliament to implement the assurance given in the election manifesto of the National Front regarding the Mandal Commission is to be welcomed and that he is to be congratulated. It is a remarkable victory for the DMK Government which adopted the resolution in the Legislative Assembly requesting the Central Government to implement the Mandal Commission's recommendations and also for the backward class people all over the country who have been making this demand in one voice. I applaud and congratulate the hon. Prime Minister on behalf of the DMK party and the DMK Government."

Our leader, Muthamil Arignar Dr. Kalaignar Karunanidhi has gone one step forward not only in reserving 18 per cent for Scheduled Caste people, but also one per cent for Scheduled Tribe people and 20 per cent for most backward class communities and 30 per cent for backward communities.

As far as admission in educational institutions and job reservations are concerned I once again quote our Chief Minister's latest implementation in this academic year, as just now Mr.. Swaminathan has referred to.

SHRI V. NARAYANASWAMY: Where is the clarification?

SHRI T. R. BALU: It is for the implementation of the National Front Government. (*Interruptions*) It is for the National Front Government to consider whether they can add five more marks over and above the interview marks—as introduced by the Tamil Nadu Government—in the case of the candidates hailing from educationally backward families i.e. from the families where there is no degree holder irrespective of the fact whether they belong to the backward communities or the forward communities or Scheduled Caste or Scheduled Tribe communities. This is for the purpose of selections in professional courses. As far as Tamil Nadu is concerned, this year 285 students who are educationally backward have been admitted in Engineering degree courses and 212 students in MBBS courses. Altogether 497 students from the backard families have been admitted. This is as per the latest scheme implemented by our leader the author of the scheme. This aspect has to be considered by the National Front Government while implementing the Mandal Commission's Report.

I congratulate once again our Prime Minister for having taken this bold step.

कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया : (महाराष्ट्र) : महोदया, सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाने का साहस सरकार ने किया हुआ है। अपनी ओर से और शिव सेना की ओर से मैं इस ऐतिहासिक कदम पर इनका धन्यवाद करना चाहूंगी और उन्होंने अभी-अभी यह बात जाहिर की कि मायनारिटी कमीशन को वही इख्तयार दिये जायेंगे जो एस० सी०, एस. टी. के आयोग को दिये गये हैं। इस बात का भी शिव सेना स्वागत करती है और व्यक्तिगत तौर पर भी आपने जो जाहिर किया उसका मैं स्वागत करती हूं। पिछले चालीस सालों में आजादी प्राप्त होने के बाद में पिछड़ी हुई जातियों.... (व्यवधान)

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: I want to know, what is your view on Muslim community?

कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया : महोदया, पिछले 40 सालों में पिछड़ी जातियों का जो पिछड़ापन है वह वैसा का वैसा ही कायम हुआ है या ज्यादा बड़ा हुआ है और गरीब ज्यादा गरीब हुये हैं और जो पैसे वाले हैं वह ज्यादा पैसा हासिल करने में लगे हुए हैं तो यह बहुत ही समय की मांग थी और इसे सदन में जनता दल की सरकार ने उठाये हुये हैं। मैं स्पष्टीकरण की ओर जाना चाहूंगी और आपने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें जो पहला कालम है उस कालम की ओर सरकार का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि उसमें आपने यह शब्द इस्तेमाल किये हैं कि प्रथम चरण में आप यह काम करने जा रहे हैं कि कौन सी पिछड़ी जातियों को आप समाविष्ट करेंगे ताकि उनको सहूलियतें हासिल हों। तो मैं यह प्रथम चरण का जो आपका अंदाज है, जो मतलब है जानना चाहूंगी, एक कानून की अभ्यासी होने के नाते। मुझको लगता है कि यह कुछ प्रथम चरण की जब आप बात करते हैं तो उसका मतलब यह हो गया कि दूसर चरण तीसरा चरण भी आप उसमें करने वाले हैं तो स्टेटमेंट में आप कुछ बता दें, कुछ इशारा कर दें कि कौन सा दूसरा और तीसरा चरण आप करने जा रहे हैं और अगर आपके पास दूसरी और तीसरी नीतियां नहीं हैं तो यह प्रथम चरण का जो जिक्र है आप निकाल दें, यह मेरा पहला सुझाव और स्पष्टीकरण रहेगा।

दूसरे सेंटेंस में वक्तव्य में आपने कहा है, मैं समझती थी कि मंडल आयोग की सिफारिश को आप ज्यादा विस्तार से उपयोग करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें हम ओ०बी०सी० को दे सकें। लेकिन आपने बहुत ही स्मार्ट तरीके से उसको सीमित कर दिया है यह कहते हुये कि उन सभी जातियों को लिया जाये

[कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया]

जो मंडल आयोग की सूची और राज्यों की सूची में समान हैं, यानी कि इसका मतलब यह हो गया कि अगर मंडल आयोग की सूची में ओ०बी०सी० का जिक्र है तो आप उसको सहूलियतें देने का अधिकार नहीं कर सकते हैं और उनके लिये आवश्यक हो गया कि राज्यों की सूची में भी उसका जिक्र हो, उस लिस्ट में भी उनका नाम हो । तो मैं समझती हूं कि यह बहुत बड़ा ग्राउंड हो जायेगा कोई भी सुप्रीम कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में चले जायेंगे और इस बात को चेलेंज करेंगे कि हमारा नाम तो मंडल आयोग की सूची में है । ओ०बी०सी० की हैसियत से हमारा वहां पर नाम लिखा गया है । लेकिन जहां तक केन्द्रीय सरकार की सहूलियतों का सवाल है हमें बायकाट कर दिया और इसी तरह से अगर राज्यों की सूची में नाम है लेकिन मंडल आयोग की जो सूची है उसमें नाम नहीं है तो यह जो इनको सहूलियतें, जो अधिकार मिलेंगे उनसे वह बाहर रह जायेंगे । यह मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इसको ज्यादा विस्तार करिये और दूसरी जो ओ.बी.सी पिछड़ी हुई जातियां हैं उन्हें समाविष्ट करे । लेकिन अभी तक जो सहूलियतें मिली हैं राज्य सरकारों के स्तर पर वह सिर्फ 12.55 प्रतिशत हैं । जो सहूलियतें मिली हैं आरक्षण नीति के अन्तर्गत वह 12.55 प्रतिशत है और बड़े ताज्जुब की बात यह है कि क्लास वन जांच में ओ०बी०सी० क्लासेज के लिए 4.69 परसेंट अधिकार प्राप्त हुए हैं जहां तक राज्यों सरकारों द्वारा सहूलियतें दिये जाने का सवाल है । मैं आपसे ज्यादा जानना चाहूंगी कि जब आप 27 परसेंट की बात करते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट ने 50 परसेंट की लिमिट रखी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए यह दिया है लेकिन हकीकत में क्या 27 परसेंट अधिकार प्राप्त होंगे या सहूलियतें प्राप्त होंगी या आरक्षण प्राप्त होंगे? यह मैं आपसे जानना चाहूंगी ।

यह समाजिक और शेक्षणिक पिछड़ी हुई जातियां हैं । शिक्षा को जो महत्व दिया गया है, जो स्थान दिया गया है उसके बाद जब इनको सहूलियत देने की बात होती है तो दर-गुजर कर दी जाती है । जब तक उनको शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, जब तक वे अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं हो जाते हैं तबतक जो आरक्षण जाब में दिया गया है वह सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो सकता है । पहले यह जरूरी हो गया है कि आप उनको शैक्षणिक संस्थाकों में आरक्षण दें । सेन्ट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कालिज और स्कूल हैं उनमें आप आरक्षण कायम करें । इतना ही नही आप उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दें, टेक्नीकल ट्रेनिंग दें । उनके लिए अलग से व्यवस्था करें । मैं सिर्फ कालिज और स्कूल की बात नहीं कर रही हूं मैं यह कह रही हूं कि उनके लिए अलग से इसकी व्यवस्था करें । आखिर में मैं यह सुझाव देना चाहती हूं और स्पष्टीकरण भी चाहूंगी कि आपने फैजवाइज बात की है तो जब तक आप आर्थिक अवस्था नहीं सुधारते, जब तक उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता, जब तक स्माल स्केल इंडस्ट्री नहीं लगा सकते तब तक उनका पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता । आपने मुझे इतना वक्त दिया इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं ।

उपसभापति : राम अवधेश सिंह जी आप खाली धन्यवाद करके बैठ जाइये क्योंकि इसमें आपकी बड़ी मेहनत है ।

श्री राम अवधेश सिंह : (बिहार) : उपसभापति महोदया मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । सदियों से समाज के बहुसंख्यक लोग जो राजसत्ता की हिस्सेदारी से वंचित थे, उनको राजसत्ता में प्रवेश करने के लिए जो लोह दरवाजे बंद थे उनको खोलने का जो ऐतिहासिक काम राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने किया है और प्रधान मंत्री जी ने किया है उसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं । यह कोई ऐतिहासिक साधारण काम नहीं है । यह इतिहास की वह कालिख धोने का काम हुआ है जिस कालिख के चलते यह देश बार-बार गुलाम

हुआ है । महोदया, आपको शायद मालूम होगा कि यह देश कब हमले का शिकार हुआ । जब कमजोर हुआ तब नहीं । दुनिया का इतिहास है कि कमजोर मुल्क पर हमले हुए हैं और मुल्क हारा है । लेकिन भारत बार-बार हारा है जबकि आर्थिक रूप से सम्पन्न था और सोने की चिड़िया कहलाता था । क्या कारण था हार का ? कारण हार का यह था कि समाज का बहुसंख्यक वर्ग, कमजोर वर्ग जो लकड़ी चीरता था, कपड़े बुनता था, बरतन बनाता था, पखाना साफ करता था उसको राजसत्ता में हिस्सेदारी से वंचित रखा गया था। मैं राजसत्ता शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, रोजी रोटी का नहीं । यह बहस की जाती है कि क्या ऊंची जाति में गरीबी नहीं है, उनको रोजी रोटी नहीं चाहिए । यह रोजी रोटी की लड़ाई नहीं है । यह राज सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ाई थी और राज सत्ता में हिस्सेदारी का जो दरवाजा बंद था वह दरवाजा खुल गया है और यह ऐतिहासिक काम किया गया है । राज सत्ता दो होती हैं, एक नम्बर एक की कुर्सी और दूसरी नम्बर दो की कुर्सी । डा० राममनोहर लोहिया कहते थे कि एक पुश्तैनी गुलामी है और दूसरी नम्बर दो की कुर्सी है । ये जो दो नम्बर की कुर्सी है यह जब तक पिछड़े लोगों को, हरिजनों को, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों को नहीं मिलेगी तब तक वे इस देश को अपना देश नहीं समझ पाएंगे । लार्ड क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा है कि वह जब सिराजुद्दोला को गिरफ्तार करने गया तो उसके पास केवल 12 सिपाही थे और जब वह बाहर सड़क पर आया तो पचास हजार लोग खड़े थे । लार्ड क्लाइव ने लिखा है कि अगर वे एक एक कंकड़ भी मारते तो हमारी हड्डी पसली का भी पता नहीं चलता । लेकिन उन्होंने नहीं डाला क्योंकि वे समझते थे कि एक राज दूसरे राज को पकड़ कर ले जा रहा है, हमको इसमें क्या लेना देन । हिटलर जब मास्को पहुंचा तो एक एक इंच जमीन पर लड़ाई हुई लोग समझते थे कि यह हमार देश है । हम इसमें कलेक्टर बनेंगे, औहदेदार बनेंगे ।

उपसभापति : आप मंडल कमीशन पर आइये ।

श्री राम अवधेश सिंह : यह मंडल कमीशन की आत्मा बोल रही है ।

THE PRIME MIISTER (SHRI VISWANATH PRATAP SINGH): I request that Ram Awadheshji be given more time.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I would allow Ram Awadheshji time provided he speaks on Mandal Commission and not on Germany or Hitler. For that I have not allocated time.

श्री राम अवधेश सिंह : आप इस बात को अभी नहीं समझ सकेंगे, कुछ समय के बाद समझेंगी तो उदार हो जाएंगी । महोदया, यह बात मैंने इसलिए कही है कि बार-बार जब सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण की बात कही जाती है तो इस देश के तथाकथित विद्वान लोग आर्थिक सवाल खड़ा कर देते है और मुझे अफसोस है कि हमारे श्री शिव शंकर जी जिनके प्रति मुझे बहुत आदर है क्योंकि वे छटपटाते रहे जिन्दगी भर कि कांग्रेस पार्टी द्वारा यह आरक्षण किया जाय, लेकिन वे यह बाजी हार गये । अब क्या होता है । खिसयानी बिल्ली खम्भा नोचे । वे तो हार गये । इस सरकार ने कर दिया । क्रेडिट उनको नहीं मिला, इनको मिल गया ।

उपसभापति : आप हमारे माननीय सदस्यों को बिल्ली मत बनाइये ।

श्री राम अवधेश सिंह : यह आर्थिक सवाल नहीं है । यह देश बड़ा अजीब है । यहां केवल धन दौलत से किसी की प्रतिष्ठा नहीं होती है । एक भिखमंगा ब्राह्मण किसी करोड़पति बनिये या अहीर के पास जाएगा तो वह उठकर खड़ा हो जाएगा और उसको नमस्कार कहेगा । इसी तरह से कोई दस करोड़ का अहीर किसी गरीब ब्राह्मण के पास जाएगा तो वह बैठने के लिए भी नहीं पूछेगा । लेकिन

[श्री राम अवधेश सिंह]

जब एक अहीर का बेटा एस०पी० या कलेक्टर तो क्या एक दरोगा भी बन जाएगा तो सब उसको सलाम करेंगे। सदियों से जो सलामी एक तरफा आ रही है वह उलट जाएगी।

श्री सैयद सिब्ते रजी : अहीर का बेटा मुख्य मंत्री है, यह शायद आपको पता नहीं है।

श्री राम अवधेश सिंह : इसलिए मैंने कहा कि सत्ता पलटती है तो सलामी भी पलटती है।

यह मैं कहना चाहता हूं। धन दौलत से इज्जत नहीं जाति से इज्जत होती है लेकिन इज्जत तब बढ़ती है जब सत्ता उसके साथ जुट जाती है। लोहिया जी ने यह कहा था और मैं उनका अनुयायी हूं, यही कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि इसमें और भी कई सलाह दी गई हैं। वह प्रिकाशन लेने के लिए उचित है क्योंकि बिहार में मैं ठग चुका हूं। बिहार में रिज़र्वेशन की लड़ाई मैंने लड़ी है। 1978–79 में जब उस पर नोटिफिकेशन होने लगा 26 प्रतिशत का तो उसमें 20 प्रतिशत पिछड़ों के लिए, 3 प्रतिशत आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए और 3 प्रतिशत महिलाओं के लिए रखा। लड़ाई मैंने वहां लड़ी है। आपको मालूम है मेरे नेतृत्व में वहां लड़ाई लड़ी गई बिहार में और कर्पुरी ठाकुर जी को ब्यूरोक्रेट्स लोगों ने ठग लिया। उसमें ऐसा क्लाज़ लिख दिया जो ऊपर से देखने मे साफ-सुथरा लगता था लेकिन भीतर मे ऐसा क्लाज़ लिख दिया गया कि उसका अर्थ का अनर्थ हो गया और पिछड़ों को जो लाभ मिलना चाहिये था उससे ज्यादा हानि होने लगी। मैं इसलिए सावधान करन चाहता हूं प्रधान मंत्री जी को कि जब नोटिफकेशन बनने लगे तो अगर इनको आपत्ति नहीं हो तो हम लोग भी उसको देख लें। शिव शंकर जी हैं जो कानून के विशारद हैं उनको भी बुला लिया जाए उसको देखने के लिए क्योंकि हम यह चाहते हैं कि जैसे कर्पुरी ठाकुर जी के साथ हुआ वैसा न हो जैसे उनको भीतरघात लगा दिया गया, ब्यूरोक्रेट्स बहुत चालाक है। इसलिए मैं इस पर सजग हूं। मैं जानन चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करन चाहता हूं कि आपने जो काम किया है इसके लिए आप प्रधान मंत्री रहिये या न रहिये आप अमर हो गये हैं। आप भारत के इतिहास में अमर हो गये हैं और आपके अमरत्व को कोई छीन नहीं सकता है (व्यवधान) इसमें क्या दो राय हैं (व्यवधान) आप लोग हंसते हैं, शर्म नहीं आती है। 40 साल तक गुमराह करते रहे और कभी यह करेंगे, कभी वह करेंगे, नौटंकी करते रहे, आप लोग सात जन्म नहीं कर सकते थे। यह इतिहास ने करवट बदली है। इस इतिहास की करवट को भारत की जनता गांव गांव की जनता भुखिया, दुखिया, लकड़ी चीरने वाले, कपड़ा बुनने वाले, जुलाहे, कुम्हार, लौहार, सुनार, चमार बधाई दे रहे हैं प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को। यह कोई साधारण घटना नहीं घटी है (व्यवधान) आप लोग कह रहे हैं कि देवी लाल के चलते यह कर दिया, अगर देवीलाल के चलते कर दिया तो आपको इसमें क्यों तकलीफ हो रही है (व्यवधान) यह कोई बात नहीं है। आप लोग निंदा करिये और यह कहिये कि यह ठीक काम हुआ है, हम लोग आभारी हैं इस सरकार के प्रति (व्यवधान) लेकिन बात बात में चुटकी मत काटिये। चुटकी काटते रहते है और बात को सफाई से कहिये। यह देखिये मद्रास से मेरे पास टेलीग्राम आय है। इसमें कहा गया है प्रधान मंत्री जी को कोटि-कोटि बधाई। यह पिछड़ा वर्ग फेडरेशन की ओर से पेरियार मार्क्सवादी पार्टी की ओर से मुझको आया है। मैं यह टेलीग्राम प्रधान मंत्री जी को परयुज़ल के लिए भिजवा देना चाहता हूं (व्यवधान) क्य बात है ? आप हंस रहे हैं। यह कोई बात हुई।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आपको याद होगा कि पिछले सत्र में राम अवधेश जी ने हठ करके पूछा था कि इसको आप कब ले आएंगे। आप ही के प्रश्न पर

आश्वस्त किया था कि इसी बीच में केबीनेट में फैसला करके अगले सत्र के पहले फैसला करेंगे। यह आपका ही आश्वासन था। यह आपने सही कहा है।

श्री राम अवधेश सिंह : इसके लिए हमारा रोम रोम आपके प्रति उपकृत है। मैं साफ कहना चाहता हूं। ऐसे मौके पर मैं रिजर्वेशन के साथ नहीं बोलता हूं। केवल हम नहीं हमारी आने वाली पीढ़ी भी आपके प्रति उपकृत होगी और पिछड़ी जातियां आपके प्रति उपकार मानेंगी। और जितने पेच पाच चलाने वाले लोग हैं सब चारों खाने चित्त हो जाएंगे, यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको सावधानी लेने के लिए जरूर कहूंगा। वह सावधानी यह है कि एजूकेशनल इंस्टीटयूशंस में आपको रिजर्वेशन देना होगा। अगर नहीं देंगे तो कहेंगे कि चलो, ट्रेन पर चढ़ जाओ, मान रिजर्वेशन है आपका, गाड़ी में चढ़ जाइये, लेकिन टिकट नहीं देंगे तो कैसे हम चढ़ेंगे। टिकट तो एजूकेशनल सर्टिफिकेट है, एजूकेशनल क्वालीफिकेशन है। हममें एजूकेशनल क्वालीफिकेशन होगी तब तो हम उस पर जाएंगे। काका कालेलकर कमीशन ने इसीलिए बैकवर्ड क्लासेज के लोगों के लिए एजूकेशन में 70 परसेंट रिजरवेशन रखा था। मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या किया ? उस पर भी मैं लड़ा, बहुत लड़ा। मेरी पीठ पर कितनी लाठियां गिरी हैं। मुझे याद है 1978 से लेकर कितना मैं जेल गया, कितने आयोग हमारे लोगों के सिर फूटे इस मंडल आयोग की रचना से लेकर आज इसकी पूर्णाहुति तक। पहले ही हमको आपने कई लाठियां मार दी। श्री वी.पी. सिंह की सरकार ने कल हमारे 50 आदमियों को जनपथ पर मारा ...(व्यवधान) जब जनपथ पर हम प्रदर्शन कर रहे थे, "मंडल आयोग लागू करो वरना गद्दी खाली करो" तो इनकी पुलिस ने खदेड़-खदेड़ कर हमारे 50 आदमियों को मारकर लिटा दिया। अभी राम मनोहर लोहिया हास्पिटल में हमारे आदमी हैं। लोकदल के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं सुशील कुमार शर्मा और कलावती देवी इनके सिर फूट गये, बुरी तरह से लहूलुहान हो गये। लाठियां मारकर भगा दिया। हम कल तक लड़ रहे थे। आप इधर घोषणा कर रहे थे उधर मैं सिर तुड़वा रहा था, लाठी खा रहा था। मैं इसमें लगा था। अब मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं उन शब्दों से आपको बधाई दूं। लेकिन फिर भी यह है कि बहुत सावधानी से नोटिफिकेशन निकालना चाहिए, इसमें हम लोगों की भी राय लीजिए, शिव शंकर की भी राय ली जाए। ब्यूरोक्रेसी अपने ही शब्द लिखेगी क्योंकि वह बड़ी चालू है। बिहार में ऊपर से बूझने पर ठीक लगा और ऐसा लिख दिया कि सबके माने ही उलट दिये। तो फिर हमको प्रदर्शन करना पड़ा, फिर जेल जाना पड़ा। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लाठियां खाना कोई आसान बात है ? आप लोग समझते नहीं हैं हंस देते हैं। इतनी लाठियां खानी पड़ती हैं ...(व्यवधान) हम उसमें मदद करेंगे। हमको अगर पूछिएगा तो हम मदद करेंगे और आपको मदद लेनी चाहिए ताकि यह एसिड टेस्ट हो जाये कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टस में चुनौती आती है तो यह उस पर खरा उतरे, यह जरूर होना चाहिए।

अब मैं अंत में एक दो बातें कहना चाहता हूं। आर्थिक वाले जो सवाल उठाते हैं ये सब समझदारी के सवाल नहीं हैं। आने वाली पीढ़ी कभी ये सब चीज, हम लोगों की डिबेट आदि पढ़ेगी तो कहेगी कि कैसी पीढ़ी थी कि वह 87 परसेंट मांग रहा था। 13 परसेंट से कि हमको रिजर्वेशन दे दो। क्यों ? हम जागृत नहीं हैं, कल जागृत होंगे। यह दरवाजा विश्वनाथ जी ने खोल दिया है। बीसवीं सदी का अंत होते-होते जो आज दांव पेच से बोल रहे हैं कि आर्थिक होना चाहिए, यह होना चाहिए, वह होना चाहिए, इफ बट, वे सब समाप्त हो जाएंगे। ये कहेंगे कि हमको 13 परसेंट दे दीजिए, हमारे लिए 13 परसेंट बचा लीजिए। वह जो जब तक हमारा जागरण नहीं हुआ है तब तक बहुसंख्यक अल्पसंख्यक से मांग रहा है कि हमको दे दीजिए। क्यों दे दीजिए ? हमारी ताकत हो जाएगी तो हम ले लेंगे। दरवाजा

[श्री राम अवधेश सिंह

खोल दिया है अब कोई रोक नहीं सकता है और इसी दरवाजे को खोलने के लिए माननीय विश्वनाथ जी इतिहास में अमर रहेंगे, केवल दरवाजा खोलने के लिए। और कोई रोक नहीं सकता है । आप लोगों का समय चल गया, जब गधा जलेबी खाता था । वह समय चला गया। कांग्रेसिया लोगों का समय समाप्त हो गया। (व्यवधान)

सुनिये, आप लोग आधे दिल से काम करते थे । कहा गया है कि सौ चोट सुनार की और एक चोट लुहार की । तो खुट-खुट बहुत किया, पर एक ही बार मारा, धड़ाम से गिर गये । तो सौ चोट सुनार की और एक चोट लुहार की, बराबर हो गया । आप लोग अब कुछ कर नहीं सकते ।

अब तो यह सरकार खूब मजे से चलेगी और बढ़िया से चलेगी । आप लोग दूर से छुट्टी काटते रहियेगा, बिराते रहियेगा, कुछ होने वाला नहीं है और अब यह सरकार स्थाई रूप से चलेगी ।

उपसभापति : अब आप क्लैरिफिकेशन पर आ जाइये ।

श्री राम अवधेश सिंह : क्लैरिफिकेशन पर... (व्यवधान) माइनार्टीज के लोग...

उपसभापति : राम अवधेश सिंह जी, समय बहुत हो गया है । कृपया बोल दीजिए । वैसे दूसरे भी लोग हैं ।

श्री राम अवधेश सिंह : माइनार्टीज के लोगों को इसमें शामिल करना हमारी लड़ाई का अंग था, इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इसमें शामिल रहेंगे और यही हमारी लड़ाई का उद्देश्य था।

यह जो लड़ाई शुरू हुई मंडल कमीशन की रचना के लिए, उस संगठन का नाम था अखिल-भारतीय पिछड़ा वर्ग, हरिजन, आदिवासी, धार्मिक अल्प-संख्यक महासंघ के झंडे के नीचे लड़ाई शुरू हुई और वह महासंघ इस सरकार को बधाई देता है । अब सरकार के एक-एक केबिनेट मेम्बर को बधाई देता है कि इनके प्रगतिशील विचारों के चलते ही यह बात आगे बढ़ी है । नहीं तो अगर कांग्रेसिया लोग जैसा दकियानूसी मेम्बर इसमें रहते तो वह भी काम नहीं होता ।

तो यह दकियानूसी लोग ऊपर-ऊपर से अब छुट्टी काटते हैं । इनसे कुछ होने वाल नहीं है । (व्यवधान)

मैं अंत में इस पिछड़े वर्गों को संविधान में हक दिलाने वाले और भारतीय संविधान की धारा 15 में उपधारा (4) जुड़वा कर तमाम पिछड़े वर्गों को हक दिलवाने के लिए पेरियार रामास्वामी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर और डा. राम मनोहर लोहिया से प्रेरणा लेकर हम लोगों ने इस लड़ाई की शुरूआत की थी और उस लड़ाई की आंशिक सफलता हुई है ।

अब पूर्ण सफलता आगे हमको प्राप्त करनी है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और बार-बार पिछड़े वर्ग, जनता की ओर से, मूक जनता की ओर से इस सदन के प्रति और इस सरकार के प्रति और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और सरकार के इस ऐतिहासिक काम के लिए जो लौह दरवाजा तोड़ा है, मैं बार-बार आभार प्रकट करता हूं ।

धन्यवाद ।

श्री मधु दंडवते : अब राष्ट्रपति का अभिभाषण भी ठीक चलेगा ।

SHRI MADHAVSINH SOLANKI: Mr. Madhavsinh Solanki.

SHRI MADHAVSINH SOLANKI: (Gujarat): Madam Deputy Chairman, I sincerely congratulate both the

Prime Minister and the Minister for Welfare, Ram Vilas Paswanji, for announcing the steps to implement some of the important recommendations of the Mandal Commission.

Madam, some States have already taken steps and measures to improve the life of the socially and economically backward classes. But, so far, no steps have been taken by the Central Government in this regard for the last forty years.

Vishwanathji has done a commendable job for which he deserves all congratulations. My leader, Shri Shiv Shankerji, has already raised some important issues and points which would be clarified by the Prime Minister. (So I do not repeat them. But would like to know whether the Government is going to provide the same type of benefits to other backward classes as are available to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, because in this country, we know, there are certain castes and communities who are living such a miserable life which is worse than that of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. So the minimum benefits which accrue to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes may be made available to other backward classes also. And the institutional organisations which are formed for Scheduled Castes and Scheduled Tribes may be formed on behalf of other backward classes as well.

During the last session while bringing a Bill under article 338 for a Commission for Scheduled Caste a suggestion was made that you will have to do it for other backward classes also and the Minister so kindly agreed that when you are implementing the Mandal Commission Report they would also be covered under the same umbrella.

Another important point has to be considered. In some States some castes and communities have already been identified as backward and they are given the benefits and advantages all along, but because the Mandal Commission has not taken cognizance of that they will be left out. They would get the State benefit but the Central benefit would not be available to them. In the second phase this aspect may also be taken into consideration. And may I hope that this step taken by the National Front Government, which is a very important step from the point of view of social justice to the poor and the backward classes of this country would be followed by at least their constituents in the States which have not so far taken steps on parity with the Central schemes?

I thank you, Madam.

श्री राम विलास पासवान : मोलंकी साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जो इसमें नहीं आ सकी । इसे मैं क्लैरीफाई करूं । इन्होंने कहा बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स से भी बदतर स्थिति में हैं, लेकिन किसी कारण वश यह कहते हैं कि वे शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की सूची में नहीं हैं और प्रत्येक राज्य में ऐसी जातियां हैं । कुल मिलाकर हम समझते हैं कि 70–80 से ज्यादा ऐसी जातियां है जो छूट गई थीं । तो जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है जब पहली बार किसी जाति को शैड्यूल्ड ट्राइब में सम्मिलित किय जाता है तो प्रेसीडेंशल आर्डर से होता है । दूसरी बार जब होता है तो उसको पार्लियामेंट के सामने लाना पड़ता है । हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं । हमारे सामने दिक्कत इतनी ही है कि इसकी दो स्टेज हैं । एक तो है कि राज्य सरकार अनुशंसा कर और दूसरा है आर०जी० आई० रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया उसका अनुमोदन करे । बहुत सारी जातियां जो हम पर्सनली जानते हैं वह शैड्यूल्ड कास्ट्स की श्रेणी में हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की श्रेणी में हैं, लेकिन हमारे सामने दिक्कत यह है कि राज्य सरकार ने उसका अनुमोदन नहीं किया है, अनुशंसा नहीं किया है, क्योंकि एक जगह से राज्य सरकार ने अनुशंसा कर भी दिया है तो आर०जी०आई० ने उसका अनुमोदन नहीं किया है तो उसी के लिए हम रुके

[श्री राम विलास पासवान]

हुये हैं । चूंकि एक बार जब हम पार्लियामेंट में ले आयेंगे तो जो जाति छूट जाएगी तो फिर दस साल तक बीस साल तक उसको कोई देखने वाला जल्दी होगा नहीं । इसलिए उसमें थोड़ा डिले तो जरूर हो रह है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी जितनी सारी जातियां हैं उनकी एक ही बार इकट्ठे लिस्ट बना करके और जितनी जल्दी हो सके उसको पार्लियामेंट के सामने ले आयेंगे ।

आनन्द प्रकाश गौतम (उत्तर प्रदेश) : माननीया उपसभापति महोदया, सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय कल्याण मंत्री जी को ऐसे ऐतिहासिक कदम के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं और देश की जनता को भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूं । महोदया, राष्ट्र के, समाज के कमजोर वर्गों के प्रति इस सरकार की समर्पण की भावना इससे स्पष्ट होती है कि सरकार आते ही आते सर्वप्रथम बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि, इसी तरह के और कार्य आरक्षण को पूरा करने की घोषणा, उसी दिशा में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किये जाने का सरकार का एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम है । एक के बाद एक यह सरकार मील के पत्थर बराबर गाढ़ती चली जा रही है, इसके लिए मैं पुनः हार्दिक बधाई देना चाहता हूं ।

महोदया, मैं इस हार्दिक बधाई के साथ-ही-साथ कुछ स्पष्टीकरण की तरफ प्रधान मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । जहां आपने इसके प्रथम चरण की बात की है और हमारे कुछ पूर्व वक्ताओं ने भी इस बारे में स्पष्टीकरण चाहा है कि आप चरण के बारे में स्पष्ट बताएं कि प्रथम चरण और अगला चरण क्या होगा ? महोदया, इस संबंध में मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आपने प्रथम चरण की बात कही है, तो वह प्रथम चरण क्या समय की प्रतिबद्धता होगी या कार्य की प्रतिबद्धता होगी जिससे कि आप चरण की अवधि तय करेंगे ? महोदया, अगला स्पष्टीकरण मैं यह चाहूंगा कि आपने अपने वक्तव्य के (ख) में कहा है कि, "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत 27 होगा ।" आपने इसको लागू करने की भी घोषणा कर दी है, यह बहुत अच्छी बात है । इसी के आगे उसमें कहा गया है कि, "यह आरक्षण भारत सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों के अधीन सेवाओं पर लागू होगा ।" महोदया, इस संबंध में मैं यह जानना चाहूंगा कि जो जोइंट सेक्टर में हैं, उन में इस आरक्षण का क्या व्यवस्था होगी ? महोदया, एक और चीज जो मन को सशंकित करता है, वह यह है कि जो आपने सेवाओं में आरक्षण की घोषणा की है, इसमें जो वर्तमान परिस्थिति है, उसमें आप इस को आकलित करेंगे ? उसका जो बैकलाग होगा क्या उसको पूरा करने की भी कोई योजना है या अगली सेवाओं में भी इस को लागू करेंगे ? ये जो वर्तमान परिस्थिति है, उसमें उसकी क्या विधि होगी ? मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको भी स्पष्ट कर दें ताकि यह आगे कोई कठिनाई पैदा न करे । इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि यदि बैकलाग को पूरा करने की बात होगी तो क्या आप उसके लिए नए स्थान पैदा करेंगे जिससे कि सेवाओं में उनकी भर्ती की जाएगी ? पिछली सरकार ने यह घोषणा की थी कि सन् 88 या 89 में कि अनुसूचित जाति के आरक्षण को तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाएगा । लेकिन इसके लिए कार्मिक विभाग से जो नोटिफिकेशन निकला, उसमें यह लिखा गया कि यदि स्थान नहीं है या भर्ती नहीं हो रही है या स्थान रिक्त नहीं हैं तो वहां पर आरक्षण पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है । इसका मैंने वर्तमान प्रधान मंत्री जी को संदर्भ दिया है । तो कहीं कोई आरक्षण पूरा नहीं हुआ । महोदया, जो परिस्थिति इस समय है, उसमें जितने लोग अब तक उसमें हैं, उनमें भी क्या यह आकलित किया जाएगा कि इतना आरक्षण का कोटा है या नहीं । एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि यह जो मंडल आयोग की सिफारिशें हैं, आरक्षण का जो धाराएं आपने इसमें कोट की हैं, यह उसी तक सीमित रहेंगी या जैसाकि हमारे राम

अवधेश जी ने कहा है कि आप शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों के वजीफे आदि के बारे में या उनके प्रवेश के बारे में भी इसकी व्यवस्था करेंगे ? कृपया इसे भी स्पष्ट करें । साथ ही यह माननीय प्रधान मंत्री की का एक बहुत ही अच्छा कदम होगा यदि इस आरक्षण के मामले में जिसे कि आपने तात्कालिक प्रभाव से घोषणा की है, उसका आरक्षण आप सबसे पहले केन्द्रीय सचिवालय और अपने यहां सरकार में करने की कृपा करें ।

मैं पुनः आपको आभार के साथ बहुत-बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं ।

श्री रामनरेश यादव (उत्तर प्रदेश): महोदया, कल माननीय प्रधान मंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के कार्यान्वयन की दिशा में जो वक्तव्य आया है, सरकार का जो निर्णय सामने आया है, इसके लिए तो हमारे नेता शिवशंकर जी ने भी बधाई दी है और मैं भी बधाई देना चाहता हूं । साथ ही एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि आखिर कल का समय, मुझे क्षमा करें करेंगे, यह कल का समय ही क्यों चुना गया था ? इसलिए की 9 अगस्त क्रांतिकारी दिवस रहा है और इस क्रांतिकारी दिवस को एक दूसरी क्रांति लाने की दिशा में इनके ही, सरकारी पक्ष के ही एक नेता ने कुछ क्रांतिकारी रैली करने का निर्णय किया है अगर यह रैली होने भी जा रही है । मुझे वह दिन भी याद आ रहा है, जब पिछले महीने 24 तारीख को यहां दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था पिछड़े वर्ग की तरफ से और उस सम्मेलन में देवीलाल जी ने, जो उप-प्रधान मंत्री रहे हैं, आज नहीं हैं, उन्होंने सबके बीच में वक्तव्य दिय था और उन्होंने कहा था कि इसका समर्थन मैं तब करूंगा जब कि जाट जाति, बिरादरी भी पिछड़े वर्ग की सूची में रखी जाएगी । हमारे कल्याण-मंत्री जी मौजूद हैं, मैंने इस सवाल को उस दिन भी उठाया था, जब कल्याण मंत्री जी ने यह कहा कि हम मंडल-कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे तो मैंने कहा था कि क्या जो उप-प्रधानमंत्री देवी लाल जो घूम-घूम कर अपना भाषण दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं उसी आधारपर या बिना उसको शामिल किए लागू किया जाएगा ? एक तरफ तो वह इस तरह से बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार का यह बयान आ रहा है । इन्होंने सदन को आश्वासन दिया था कि नहीं, हम इसको लागू करने का प्रयास नहीं करेंगे । इसके पहले भी हाऊस में जब एक बार यह प्रश्न आया था और माननीय प्रधान मंत्री उत्तर दे रहे थे तो मैंने खड़े होकर पूछा था कि इसे कब लागू करने का काम करेंगे ? तो उस समय कल्याण-मंत्री की ओर संकेत करते हुए प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि राम विलास पासवान जो कल्याण-मंत्री की हैसियत से केबिनेट में प्रस्ताव लायेंगे और हम उस पर विचार करेंगे। मुझे खुशी है कि उसके आधार पर यह प्रस्ताव निर्णय के रूप में कल सदन के सामने आया ।

महोदया, यह बात सही है अपने स्थान पर, कि प्रथम चरण में बात आई है । मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने चरणों में मण्डल-कमीशन की जो संस्तुतियां थीं, वे पूरी करने का प्रयास करेंगे क्योंकि अभी पहले चरण में आपने 27 फीसदी लाने की बात की है । अभी जैसे माननीय पी० शिवशंकर जी ने बहुत से सवाल उठाये थे, जो रिकमंडेशन हैं, उनके आधार पर प्रश्न किए, स्पष्टीकरण मांगे । यह बात सही है कि सामाजिक न्याय की दिशा में जो कदम उठना चाहिए था, नहीं उठ पाया था किन्हीं कारणों से । उस दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है और इस कदम के साथ-साथ मैं यह जानना चाहता हूं स्पष्टीकरण के रूप में, कि इस रिपोर्ट के आधार पर, रिकमंडेशन के आधार पर हमारे कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां पर 27 फीसदी रिजर्वेशन है और वह 27 फीसदी रिजर्वेशन, जैसा कि मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में रिकमंड किया है और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के आधार पर 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद 60 फीसदी चल रहा है, क्या यह व्यवस्था वहां के लिए रहेगी या नहीं ?

[श्री राम नरेश यादव]

महोदया, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं या दूसरे बैंक हैं, उन बैंकों में भी इस रिकमंडेशन के आधार पर यह रिजर्वेशन लागू होगा या नहीं होगा ? तीसरा प्रश्न, मेरा यह है कि यहां तो हम सब यह बात करते हैं और बात भी सही है कि आखिर नौकरियों में आने के लिए कुछ स्थान तो चाहिए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था चाहिए । इसके लिए मण्डल जी ने यह संस्तुति की है कि जितने भी केन्द्र द्वारा चलाए जाने वाले इंस्टीट्यूशन्स हैं या राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाने वाले विद्यालय, हैं टैक्नीकल या प्रोफेशनल या दूसरे, उनमें भी यह रिजर्वेशन रखा जाएगा। इस संबंध में मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसके बारे में आप क्या व्यवस्था करना चाहते हैं ? साथ ही साथ आवश्यकता इस बात की भी हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन रखा गया है, रखने के बाद जो कोटा होना चाहिए था, नहीं पूरा हुआ अगर अब नहीं पूरा हुआ तो इसी बात को ध्यान में रखकर के जो संवैधानिक संशोधन होना चाहिए, उसे भी लाने की दिशा में पिछले दिनों कदम उठाया गया । इसलिए उन्होंने यह भी लिखा है कि आरक्षण को लागू करने के लिए जो संस्तुति हम कर रहे हैं इसमें बहुत से संविधान में संशोधन करने होंगे और भी कुछ नियम व कानून बनाने होंगे, उस दिशा में इस सिफारिश के आधार पर उस व्यवस्था को करने की दिशा में आप क्या कर रहे हैं ? साथ ही साथ एक बात साफ है कि जब तक इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाएगा और उसी आधार पर जैसा कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में दिया गया है, तब तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का मतलब होगा कि वह ठीक से लागू नहीं हो पाएगी क्योंकि उसके इंटरेस्ट को वाच करने के लिए . . (व्यवधान) . .

उपसभापति : यादव जी, बहुत देर हो गई है।

श्री राम नरेश यादव : इसलिए उस दिशा में माननीय प्रधान मंत्री जी को और सरकार को भी ध्यान देना होगा कि उसे संवैधानिक दर्जा देकर इस बात को लाना होगा और देखना होगा कि जो यह आदेश जा रहा है, उसे कार्यान्वित करने की दिशा में सरकार जो कदम उठा रही उसका सही ढंग से कार्यान्वयन हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि सरकार गंभीरता के साथ इन सारी चीजों पर विचार करके और जितने भी रिकमंडेशन्स हैं उन सब पर, क्योंकि शिक्षा के संबंध में भी और व्यवसाय के संबंध में भी हैं, इन सारे रिकमंडेशंस को, मंडल कमीशन के, कितने चरणों में पूरा करेगी और समयबद्ध रूप से कब तक पूरा करके दिखाने का काम करेगी ? इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सरकार को बधाई देना चाहता हूं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is very late. I have two more names with me. I would like them to be brief. Dr. Abrar Ahmed Khan. Only two minutes please.

डा अबरार अहमद खान (राजस्थान) : उपसभापति महोदय. . . (व्यवधान)

SHRI G. SWAMINATHAN: How many more, Madam?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Two more. He and one more. That is why I am requesting. Already, Shiv Shankerji has taken enough time. Therefore, they should only support, if they want to. That is all.

डा० अबरार अहमद खान : मैं सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि कल जब यह चर्चा चल रही थी वक्तव्य की, उस समय सदन के नेता ने इसके इम्पारटेंस और सिग्निफिकेंस के बारे में कहा था। जब-जब भी यह बात राम अवधेश जी ने यहां उठाई थी तो हमने भी उनका पूरा साथ दिया था कि तत्काल यह सिफारिश लागू होनी चाहिए। लेकिन

इसमें कोई दो रायें नहीं कि अगर एक दिन पहले उसकी सिग्निफिकेंस को समझ लेते तो यह बात निश्चित रूप से कल का जो बिजनेस था उसमें आ गई होती। लेकिन कल ही दोपहर में जब महंगाई पर यहां चर्चा शुरू हुई उस वक्त आपका तत्काल ध्यान इसकी सिग्निफिकेंस पर गया ताकि लोगों का ध्यान महंगाई से हटकर के दूसरी तरफ चला जाए। मैं आपके माध्यम से इस वक्तव्य के संबंध में, क्योंकि आपने समय बहुत कम दिया है इसलिए यह जानना चाहता हूं कि पिछड़े तबके में यह पिछड़ी जातियों में खास तौर से प्रोफेशन से संबंधित जातियां अधिक हैं, तो उसमें मुस्लिम, सिक्ख और क्रिश्चियन समुदाय की क्या स्थिति है? इस पर मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से विस्तृत रूप से प्रकाश डालने का आग्रह करूंगा कि मुस्लिम, सिक्ख और क्रिश्चियन समुदाय की पिछड़े तबके में क्या स्थिति है? उनके लिए क्या प्रावधान है? उसमें कौन सी जातियां इसके अंदर शामिल होंगी। इसके साथ-साथ शिक्षा के बारे में, जैसा कि राम अवधेश जी ने और पी. शिव शंकर जी ने भी कहा कि वास्तव में शिक्षा के अंदर आरक्षण होना चाहिए बिना शिक्षा में आरक्षण दिए यह आगे जो आरक्षण है जिस प्रकार से अनुसूचित जाति, जनजाति में समस्या आती है, कोटा पूरा नहीं होता, आरक्षण तो दे दिया गया लेकिन निश्चित रूप से अगर शिक्षा के अंदर आरक्षण नहीं दिय गया तो यह कोटा पूरा नहीं हो सकता। इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि नौकरियों के लिए यह जो बात की है तो राज्य सरकार की नौकरियों में क्या होगा और उसके साथ ही साथ नौकरियों के लिए तो 27 परसेंट आरक्षण दिया है, लेकिन राज्य में भागीदारी के लिए एम.पी. और एम.एल.ए. के लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था है? मात्र उनको नौकरियों के लिए ही योग्य माना है या राज्य में भागीदार बनाने के लिए ही योग्य माना है? यह मैं विशेष रूप से माननीय प्रधान मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा।

इसके साथ ही साथ एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की बात इसमें कही गई है, तो मैं इस बात का पक्षधर हूं कि सामाजिक न्याय के लिए जो आरक्षण दिया जा रहा है, उस आरक्षण में निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो परिवार एक बार उसका लाभ उठा चुका है, अगर किसी का पिता लाभ उठाकर आई.ए.एस. या आई.पी.एस. बन गय है तो दोबारा उसको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए।

आरक्षण का परसेंटेज उतना ही रहे जैसा शिव शंकर जी ने अभी कहा, अर्थात् 27 परसेंट ही रहे। अनुसूचित जनजाति का उतना ही रहे लेकिन एक बार जिसने लाभ उठा लिया उसके लिए कोई तरीका बनाना पड़ेगा कि जो एक बार आई.ए.एस., आई.पी.एस. बन गया तो उसके बच्चों को उसका लाभ न मिले बल्कि उन लोगों को मिले जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यह व्यवस्था आप इसके अंदर करें। धन्यवाद।

उपसभापति : सत्या बहिन। बस खाली कह दीजिए कि समर्थन कर रही हूं, अगर समर्थन कर रही हैं तो क्योंकि शिव शंकर जी सबकी तरफ से बोल चुके हैं।

श्रीमति सत्या बहिन : मैडम, मैं एक ही मिनट लूंगी। मंडल आयोग की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों के संबंध में प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, मैं इसका समर्थन करती हूं लेकिन इन्होंने जो सामाजिक न्याय वर्ष बनाने की बात कही है तो मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि पिछले आठ महीनों की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों पर अत्याचारों की घटनाएं बेहद बढ़ी हैं। इसलिए मैं तो इसे सामाजिक अन्याय वर्ष कहूंगी। हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी को मंशा न्याय करने की रही हो लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे प्रधानमंत्री

[श्रीमती सत्या बहिन]

श्री वी.पी. सिंह चाहे प्रदेश का शासन संभाल रहे हों या देश का शासन संभाल रहे हों, जब-जब इन्होंने देश का या प्रदेश का शासन संभाला है तब-तब पिछड़े व दलित वर्ग पर हिंसक अत्याचार बढ़े हैं चाहे वह उत्तर प्रदेश में सादूपुर हो या देवली हो चाहे आगरा कांड हो।

दूसरी बात यह है कि इन्होंने यह कहा कि 40 वर्ष से कोई काम नहीं हुआ तो मैं इस बात का विरोध करती हूं। 40 वर्षों में कांग्रेस ने बहुत काम किया है। हां इतना जरूर है कि कोई राजनीतिक लाभ उठाने की गरज से उसने कभी अपने कामों का ढिंढोरा नहीं पीटा। मैं इस वक्तव्य के संबंध में प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि कुछ ऐसी जातियां हैं जो एक प्रदेश में अनुसूचित जातियों में आती हैं और दूसरे प्रदेश में उनको अनुसूचित जनजातियों में लिया जाता है या फिर उनको पिछड़े वर्गों में लिया जाता है। तो इसका संतुलन वह कैसे कायम करेंगे?

एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको ब्रिटिश काल से ही सूचीबद्ध ज़रायमपेशा माना जाता है। जिससे समाज में कुछ ऐसी मानसिकता बन गई है कि उनको अपराधी जातियों में गिना जाता है चाहे वह कितनी ही ईमानदारी से अपना काम करें। समाज के अंदर एक ऐसी घृणा की भावना बन गई है जैसे अभी चित्तौड़ में सवर्णों द्वारा 9 कंजरों को मार डालने की जो घटना हुई है वह इसी मानसिकता का प्रमाण है।

उपसभापति : बस, आपको एक मिनट दे दिया। अब बैठ जाइए।

श्रीमती सत्या बहिन : तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वह इस अपराध सूचक नाम को हटाने के बारे में भी विचार करें और अनुसूचित जातियो और पिछड़े वर्गों की सूचियों में जो असंतुलन हैं उनको भी दूर करने पर ध्यान दें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदया, मालवीय लोग उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों में आते हैं और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में आते हैं?

उपसभापति : आप क्या हैं? आप मंडल कमीशन में हैं या बाहर हैं?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri S. S. Ahluwalia. Kindly be brief because Shri Shiv Shankerji has already taken 48 minutes. So, try to be brief.

SHRI G. SWAMINATHAN: Madam, is the Prime Minister going to reply today or not? Let us know this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please wait. Have some patience. (*Interruptions*).

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : उपसभापति महोदया, मैं पहले ही धन्यवाद कर दूं कि अंत में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। महोदया, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है और इसके लिए मैं आपसे क्लैरिफिकेशन पूछने से पहले ही गुज़ारिश करूंगा कि इस पर एक पूरी बहस होनी चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा निर्णय है इस सरकार का जिससे न केवल इतिहास को बदलना है, न केवल नस्लों को बदलना है... (व्यवधान)

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अलग से डिस्कशन करवाना चाहें तो इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

उपसभापति : फिर आप डिस्कशन में ही बोल देना।

SHRI G. SWAMINATHAN: We are sitting here for something else today. We want to know whether the Prime Minister is going to reply today.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please don't interrupt.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया नॉट टूडे बात।

श्री राम विलास पासवान : वह आज के लिये नहीं कह रहे थे।

एक माननीय सदस्य : अगर आज इस पर डिस्कशन हो गया तो अभी जो बोले हैं लोग उनको मौका नहीं दिया गया तो ...

उपसभापति : सब लोगों के लिये तो आश्वासन दे सकती हूं मगर राम अवधेश जी के लिये नहीं दूंगी।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : महोदया, हमारा भारत चार वर्णों में बंटा हुआ था और बड़ा कमजोर था। उस वक्त बड़े-बड़े धर्म गुरुओं ने और संतों ने इसमें परिवर्तन लाने की कोशिशें की और उन कोशिशों के स्वरूप ही मैं आज इस स्वरूप में आपके सामने खड़ा हूं। 1699 में गुरू गोविंद सिंह पहली वैशाख को जब सिख धर्म की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना कर रहे थे, उस वक्त उनको पांच प्यारों की जरूरत थी और वह पांच प्यारे जिस वक्त बुलाये गये कि मुझे गर्दन चाहिये, मुझे खून चाहिये, मुझे कृपाण के लिये खून चाहिये, सैक्रीफाईस चाहिये तो उस वक्त जो पहला आदमी उठा था वह हस्तिनापुर का था और वह पिछड़ी जाति का था। दूसरा आदमी उठा वह द्वारिका का था, वह भी पिछड़ी जाति का था। तीसरा आदमी उठा, वह जगन्नाथ पुरी का था, वह भी पिछड़ी जाति का था और चौथा आदमी जो उठा वह लाहौर का था, वह सिर्फ जाट था और जो पांचवां आदमी उठा वह विदर्भ का था, कर्नाटक का, वह भी पिछड़ी जाति का था। इस पिछड़ी जाति को मिलाकर खालसा पंथ की स्थापना हुई थी और यह वर्ण को खत्म करने की एक कोशिश की गयी थी, धर्म के माध्यम से सामाजिक सुधार किया गया था। आज एक नयी पहल आप करने जा रहे हैं और मैं आपको तो धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, पर उसके साथ-साथ मैं आपकी पार्टी के अन्दर जो प्रेशर ग्रुप है उसका भी अभिनंदन करता हूं जिसके प्रेशर के कारण आपने इसकी घोषणा कल की है.... (व्यवधान) आप शांत हों क्योंकि मैं इसलिये कहता हूं कि मैं धन्यवादी हूं भूतपूर्व उप प्रधान मंत्री देवी लाल जी का जिन्होंने प्रेशर दिया कि आप मजबूर हुये कल इस बिल को लाने में, इस घोषणा को लाने के लिये। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है.... (व्यवधान) आप खिसिया क्यों रहे हैं, मैं प्रमाण दे रहा हूं। मैं बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलता.... (व्यवधान) मैं प्रमाण दे रहा हूं—यह पार्लियामेंट्री बुलेटिन है जिसमें इस संसद सत्र में 7 अगस्त से लेकर 7 सितम्बर तक 45 बिल लोक सभा और राज्य सभा में इंटरोड्यूज होने हैं कंसीडर होने हैं डिस्कस होने हैं Here you are. Agreed. अगर यह बिल नहीं हैं तो 21 तारीख के इस घोषणा-पत्र में जो नये बिल्स आप इंटरोड्यूज कर रहे हैं उसका 14वां बिल है Bill to give statutory reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government. (*Interruptions*)

...t listen. It is overhead transmission for you. You will not understand it, Malaviyaji... Bill to give statutory reservation for SC and ST in Government and public sector undertakings—introduction, consideration and passing.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We are discussing the parliamentary bulletin. We are discussing Mandal Commission. Please ask your clarifications.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Madam, I am coming to my clarifications. This is also a part of that.

उपसभापति : आप चुपचाप बैठिये हाऊस में। Please don't interrupt, Mr. Vishvjit Singh. I can handle the House without your help.

SHRI RAM VILAS PASWAN: You are talking of Scheduled Castes. Scheduled Tribes. This is for backward classes.

SHRI S. S. AHLUWALIA: This is also a part of your....

SHRI RAM VILAS PASWAN: Mandal Commission is separate. It is for the backward classes.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैं अकेले माइनोरिटी का सदस्य खड़ा हूं और पूरी सरकार एक तरफ खड़ी हुई है, थोड़ी तो शर्म करो। **(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अफजल : महोदया, बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं हैं। **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : रिजर्वेशन की बात हम तब करेंगे जब नौकरियां होंगी। आपने अपने मेनीफेस्टो में राइट टु वर्क की बात की है। **(व्यवधान)** आपने इन 45 बिलों में यह बिल नहीं रखा है। **(व्यवधान)**

श्री अब्दुल समद सिद्दकी : आप इसकी मुखालफत करना चाहते हैं....

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : लिस्ट आफ बिजनेस में आपके ढकोसले सामने आ रहे हैं। **(व्यवधान)** आपको सिर्फ डर चौधरी देवीलाल का है, महेन्द्र सिंह टिकैत का है, काशी राम का है जिसके कारण आप यह बिल ला रहे हैं।

श्री मोहम्मद अफजल : आपको दुख हो रहा है।

श्री अब्दुल समद सिद्दकी : इस प्रकार आप इनडायरेक्ट अपोज कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अफजल : आप इनडायरेक्ट अपोज क्यों करते हैं। आप को अपोज करना है तो डायरेक्ट करिये। **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : इस घोषणा के साथ इमोशनली अटेच्ड हूं। उसका प्रमाण है। 17 अगस्त को मेरा एक प्राइवेट मैम्बर रेजोलूशन है जो नेशनल कमीशन फार बैकवर्ड क्लासेज की डिमांड करता है और नेशनल कमीशन फार माइनोरिटी कम्युनिटी की डिमांड करता है। आप बिल नं. 111 देख सकते हैं वह राइट टु वर्क के बारे में है। यह बिल कोई आपका जनता दल का सदस्य नहीं लाया है यह बिल मैं लाया हूं। **(व्यवधान)** मैं इस घोषणा के साथ मानसिक रूप से जुड़ा हुआ हूं। मैं बताना चाहता हूं कि आप जो घड़ियालू आंसू बहा कर झूठ बोलना चाहते हैं मैं उसको एक्सपोज करना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

महोदया, नौकरी में रिजर्वेशन लाने के लिए जो मुख्य मुद्दा है मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से पूछना चाहूंगा कि यह 27 प्रतिशत का रिजर्वेशन इंजीनियरिंग कालिज में देंगे, मेडिकल कालिज में देंगे, नेशनल डिफेंस एकेडेमी में देंगे, इंडियन मिलिटरी एकेडमी में देंगे? मेरे स्पेसिफिक सवाल है और उनका स्पेसिफिक जवाब चाहूंगा। इसके साथ-साथ न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाने के लिए, स्पेस टेक्नोलोजी पढ़ाने के लिए क्या 27 परसेंट की रिजर्वेशन आप दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो आप उनके साथ अविचार करेंगे। इसके साथ-साथ मैं पूछना चाहूंगा कि पब्लिक अंडरटेकिंग्ज और सरकारी दफ्तरों में 27 परसेंट देते हैं तो क्या आप आर्मी में, नेवी में, एयर फार्स में भी बेकवर्ड क्लासेज के लिए 27 परसेंट की रिजर्वेशन देंगे? अगर देंगे तो बताइये। क्या प्रधान मंत्री महोदय 27 परसेंट का आरक्षण आप विधान सभाओं में, लोक सभा में, राज्य सभा में भी करेंगे?

श्री प्रमोद महाजन : मंत्रिपरिषद में भी?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मंत्रिपरिषद् में तो राम विलास पासवान जी ही रहेंगे और सब हट जायेंगे। मैं

यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह 27 परसेंट का आरक्षण बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए विधान सभाओं में, लोक सभा में और राज्य में भी लागू करेंगे? और क्या कोंसिल के लिए भी लागू होगा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी लागू होगा? मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से पूछना चाहूंगा ... (व्यवधान)

SHRI T. R. BALU: You have left kindergarten schools.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Mr. Balu, who will go kindergarten, I will see later on. Don't worry.

क्या यह 27 प्रतिशत का आरक्षण, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं पर स्वर्ण जाति के हैं, उनके लिए भी लागू होगा? जितनी मैंने ऊपर मांगे की हैं, कालेजों में, आर्मी में, एअर फ़ोर्स में और एन० डी० ए० और आई० एम० ए० में भी लागू होगा? जिन लोगों ने सिख धर्म अपनाया है, हिन्दू धर्म से सिख धर्म परिवर्तन किया है या जो हिन्दू से मुसलमान हो गये या बौद्ध हो गये उनके लिए आपने क्या किया है? जो हिन्दू से सिख हुए हैं उनके लिए भी क्या यह 27 प्रतिशत का आरक्षण लागू होगा? माइनोरिटी के लिए भी क्या यह लागू होगा, इसका आप विचार कर रहे हैं। आप बताइये कि जो हम यह सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है कि रिजर्वेशन 50 परसेंट से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई राय नहीं है? इस 27 प्रतिशत रिजर्वेशन से हम आलरेडी साढ़े 49 प्रतिशत रिजर्वेशन पर पहुंच जाएंगे और दस दिन पहले प्रधान मंत्री महोदय ने विकलांगों को एशुरेन्स दिया है कि उनके लिए 3 प्रतिशत के आरक्षण के लिए बिल लाया जाएगा। आपने यह भी कहा कि संसद के इसी सत्र में यह बिल लाया जाएगा। इस 3 प्रतिशत को भी मिला दिया जाय तो यह साढ़े 52 प्रतिशत हो जाता है। इसे बारे में मैं आपका स्पेसिफ़िक जवाब चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब यह बिल का रूप ले क्योंकि बिना बिल का रूप लिये यह नहीं चलेगा और इसी तरह से धोखा होता रहेगा जैसा कि श्री राम अवधेश सिंह जी ने कहा। अगर यह बिल का रूप ले तो इसका रूप होना चाहिए नेशनल कमीशन फ़ार सोशली, एजूकेशनली एण्ड इकोनामिकली बैकवर्ड क्लासेज। उसमें दो चीजें जरूर होनी चाहिए और उन दो चीजों में भी एक चीज अनिवार्य रूप से ये होनी चाहिए; वह है इकोनामिकली, आर्थिक रूप से ... और इसके लिए मैं गुजारिश ... कि जब प्रधान मंत्री महोदय इतिहास को बदल ही रहे हैं, इतिहास को धो ही रहे हैं, आपने ही कलंक लगाया है और आप ही उसको धो रहे हैं तो कम से कम उसके लिए अलग मंत्रालय भी खोल डालिये जो बैकवर्ड कम्युनिटी के इंटेरेस्ट को देखेगा और उसके लिए एक अलग मंत्री भी रहेगा.. (व्यवधान)। वहां तो रिजर्वेशन आना ही है। आप घबराइये नहीं, उसमें कितने ब्राह्मण लेंगे और कितने नहीं लेंगे, इसका पता नहीं है। इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले अपनी अंतिम बात पर आता हूं! .. (व्यवधान) अपनी अंतिम इच्छा भी बता दूंगा, आप घबराइये नहीं, आपने याद दिला दिया, आपको अपनी अंतिम इच्छा भी बता देता हूं। घबराइये नहीं, अच्छा है आपने याद दिला दिया। मैं आपको अपनी अंतिम इच्छा भी बता देता हूं। इस सारे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम शेडयूल घोषित होना चाहिए। और उसके साथ साथ इसका एक अनेक्श्चर बनना चाहिये। अनेक्श्चर वन में जिस कटेगरी के लोग आएं उनको 10 प्रतिशत, अनेक्श्चर टू में जो लोग आएं उनको 8 प्रतिशत और अनेक्श्चर थ्री में जो लोग अपर कास्ट के लोग हैं परन्तु गरीब हैं इकोनोमिकली बैकवर्ड हैं पर फ़ारवर्ड क्लास को बिलांग करते हैं उनको 6 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत रिज़र्वेशन हो। 27 परसेंट का इस प्रकार से केट

[श्री सुरेन्द्रजीतसिंह अहलुवलिया]

गराइजेशन होना चाहिये। ईश दत्त यादव जी ने मुझसे अपनी अन्तिम इच्छा की बात पूछी है तो शायद राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को आप इतना नहीं जानते जितना कांग्रेसी जानते हैं।* और (**व्यवधान**) आपको पता नहीं (**व्यवधान**) मैंने कोई अनपार्लियामेंटरी बात नहीं कही है (**व्यवधान**)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, I am on a point or ordr. In this House, no hon. Member can cast aspersions on the character and integrity of another Member, particularly when he is a Minister. I wish htat thrust of the hon. Member be deleted from the proceedings of the House. I want our ruling on this.

SHRI S. S. AHLUWALIA: I also want your ruling. (*Interruptions*).

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: What is your ruling? He should not be allowed ot cast aspersions. He has no right. (*Interruptions*) I want your ruling.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If you keep quiet, then I will give my ruling (*Interruptions*).

श्री प्रमोद महाजन: उपसभापति महोदया प्रधानमंत्री के संबंध में आलोचना एक अलग बात है लेकिन तू-तुम की भाषा का प्रयोग इस सदन में जिस प्रकार से किया जाता है यह असभ्यता का लक्षण है (**व्यवधान**) हमने राजीव जी को हमेशा राजीव जी कहा (**व्यवधान**) विरोध हम कर सकते हैं (**व्यवधान**)।

THE DEPUTY CHAIRMAN: If you all are speaking together, I cannot hear.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, I am quoting the rule 261. It says: "If the Chairman is of opinion that a word or words has or have been used in debate which is or are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may, in his discretion, order that such word or words be expunged from the proceedings of the Council." This is the rule. We want your ruling.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am giving my ruling. I would request the Members to sit down.. (*Interruptions*). ...Only then I can give my ruling..

SHRI MENTAY PADMANABHAM: Madam, according to the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, Rule 238 says: "Rules to be observed while speaking—A Member while speaking shall not—

(i) refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending;

(ii) make a personal charge against a Member;

(iii) use offensive expressions about the conduct or proceedings of the Houses or any State Legislature;

(iv) reflect on any determination of the Council except on a motion for rescinding it;

(v) reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms."

It is quite clear.

SHRI V. GOPALSAMY: I never referred to Mr. Rajiv Gandhi as "Pilot Rajiv Gandhi". Then how he dares to call Mr. Vishwanath Pratap Singh as "Raja Vishwanath Pratap Singh."

SHRI S. S. AHLUWALIA: He knows that he is a Raja.

मैंने उनको भिखारी नहीं कहा, मैंने राजा कहा तो क्या अपमान किया। राजा कहना प्रधान मंत्री को अपमान है।

उपसभापति: आप बैठ जाएं अपनी जगह आप भी बैठ जाएं कृपया स्थान ग्रहण कीजिए (**व्यवधान**) मैं अपनी रूलिंग दे दूं जो उन्होंने मुझ से मांगी है। मैं आनरेबुल मेम्बर्स से कहूंगी कि इस समस्या पर जो यहां डिस्कशन हो।

**Not recorded.*

रहा है उस पर शिव शंकर जी ने इतना अच्छा भाषण बोला । अतः उन्होंने जो कुछ कहा उनके किये कराये पर पानी न फेरें । इस तरह के अल्फाज न इस्तेमाल करें । आपके लिए हो सकता है कि वे अल्फाज तकलीफदेह न हों मगर थे कहना चाहती हूं कि इस तरह के अल्फाज हाउस में इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है । कृपया आप अपने अल्फाज वापस लीजिए इस डिबेट के स्तर को नीचे मत गिराइये। ...(**व्यवधान**)

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: It should be expunged from the records.

SHRI V. GOPALSAMY: It should be removed from the records.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It will not go on record.

एक माननीय सदस्य : मैडम डिप्टी चेयरमैन ने बहुत अच्छी रूलिंग दी है ।

उपसभापति :
Thank you very much.

बस अब समाप्त कीजिए ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : महोदया, आपकी उपस्थिति में कांग्रेस को और मुझे कहते हैं गधा जलेबी खाता है, वह पार्लियामेंटरी शब्द है । उस पर आपकी कोई रूलिंग नहीं आई और मैंने अगर कहा कि * तो अनपार्लिमेंट्री है..! (**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am very sorry. If the hon. Member does not respect the request of the Chair, I have the authority to get it removed from the record. I am only trying to say that don't bring the stature of this House to that level. Without doing that you can make your point very well.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : महोदया, अगर इस सदन में सब लोग इमेज बनाने के चक्कर में लग जाएं तब तो इस सदन की मर्यादा का क्या हाल होगा भगवान ही जानते हैं ।

उपसभापति : आप भी इमेज बनाइये कौन बना सकता है, आप भी अपनी इमेज बनाइये ।
concerned about your image. I would not like the image of any Member of this House, even you to go down in the parliamentary history.

अपनी बात जो बोल रहे हैं उसको ऊंचा रखिए । आप अपनी इमेज का ख्याल रखिए ।
I am bothered about you also.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : महोदया, मैं आपका सम्मान करता हूं, इस सदन का सम्मान करता हूं और हर चीज मानकर चलता हूं...

उपसभापति : चलिए आप खत्म कीजिए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : पर मुझे दुख इस बात का है कि अगर आपने यही रूलिंग राम अवधेश जी के टाइम पर दी होती तो मैं आपको प्रणाम करता ...(**व्यवधान**)

उपसभापति : राम अवधेश के लिए कितनी रूलिंग दी है यह आप जहां... (**व्यवधान**) डिबेट पढ़िएगा । अब बैठ जाइये।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : दूसरी बात यह है कि ईश दत्त जी अंतिम इच्छा की बात कर रहे थे और इमेज बिल्डिंग में जो अंतिम इच्छाओं की शुरूआत हो रही है फिर कुछ दिन बाद यही राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी कहेंगे कि देखो मैंने अपने भाइयों की चिताओं पर खड़े होकर भी अपने मंत्री पद को त्याग कर भी.. यहां के गरीबों की बात सुनी है और वह इमेज बिल्डिंग का क्या है । आपने ही लोगों को और अपनी ही पार्टी के लोगों को उन्होंने लगा रखा है। (**व्यवधान**)

*Not recorded.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, how long this will go on?

What is this? (*Interruptions*).

उपसभापति : अब आप समाप्त करिए।

It is all over now. (*Interruptions*).

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। उपसभापति जी ... (**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I request you to please take your seat. Your speech is over. (Interruptions). It is not going on record.

SHRI S. S. AHLUWALIA:*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. It is not going on record.

आपकी बात खत्म हो गई है। रेकार्ड पर नहीं जा रही है। आप बैठ जाइये। ... (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया :

उपसभापति : आप बैठ जाइये। आपकी बात खत्म हो गई है।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, I have a submission. This House has dignity, this House has tradition, this House has respect, this House has decency, this House has community feeling. We have respect for each other, whoever he may be, whatever might be the side. We cannot allow anybody to violate every norm of decency, every norm of Parliamentary procedure. (*Interruptions*). It cannot be allowed. (*Interruptions*).

डा० अबरार अहमद खान : यह आप क्या बात करते हैं? यह बिलकुल दोहरा मापदंड है। ... (**व्यवधान**) कभी नहीं करती हैं। ... (**व्यवधान**) अपनी मर्जी से करती हैं।

श्री भंवर लाल पवार : महोदया आप मुझे केवल एक मिनट का समय दीजिए। मैं एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। सदन में मुझे राजस्थान से भेजा गया है।

उपसभापति : इस विषय पर जब पूरी चर्चा होगी, आपको जरूर बोलने की इजाजत देंगे। अब आप बैठ जाइये। जब इस पर चर्चा होगी, तो आप भी बोलेंगे। इधर से भी लोग कह रहे हैं। सब को इजाजत मिलेगी आपको एक मिनट नहीं दस मिनट देंगे। अब आप बैठ जाइये जब चर्चा होगी तो जिन लोगों ने बोलना है, उनको इजाजत जरूर देंगे।

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): Madam, I would not like to comment on the ugly episode which just now took place. We have sat long today. Except one or two ugly episodes, the debate was very constructive, interesting and useful. Except the last ugly scene, everything was good. We have already sat long. It is already late. May I suggest that the Prime Minister may reply after the Question Hour tomorrow?

THE DEPUTY CHAIRMAN: If the House so agrees, I have no objection.

MANY HON. MEMBERS: Yes. Tomorrow.

THE DEPUTY CHAIRMAN: After the Question Hour....(*Interruptions*)..... the Prime Minister will reply tomorrow. The House is adjourned till 11 o'clock tomorrow.

The House then adjourned at sixteen minutes past eight of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 9th August, 1990.

*Not recorded.